उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

अरण्य विकास भवन, 73–नेहरू रोड, देहरादून, दूरभाष :–0135–2657610, फैक्स :–0135–2655488

पत्रांकः एन0 4064 /13–1/लौट आवंटन दिनांकः 21 सितम्बर 2015

email द्वारा

सेवा में,

1. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
3. समस्त प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

विषयः– ***प्रकाष्ठ आदि की लौटो का आवंटन–वर्गीकरण एवं निकासी के सम्बन्ध में।***

सन्दर्भ :– ***प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या P.O–229/ दि0 11 सितम्बर 2015 (प्रति संलग्न है)***

महोदय,

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा जारी उपरोक्त स्थायी आदेश में (1) वृक्षों का छपान एवं वर्गीकरण (2) कार्ययोजना के अनुसार छपान (3) लौटो का आवंटन (4) विक्रय सूची (5) निकासी के सम्बन्ध में निर्देश प्रदत्त किये गये हैं। इन निर्देशों के फलस्वरूप प्रकाष्ठ आदि की उत्पादकता में गुणात्मक सुधार संभावित है।

वृक्षों का छपान कार्ययोजना में दिये गये marking rules के अनुसार हो इसके लिए आवश्यक है कि आपके कार्यालय में सम्बन्धित प्रभाग का कार्ययोजना अवश्य उपलब्ध हो। कार्ययोजना का अध्ययन करते हुए वन विभाग के अधिकारियों का ध्यानाकर्षण किया जाय तथा marking rules के अनुसार वृक्षों का छपान सुनिश्चित कराया जाय। वृक्षों का छपान निर्धारित मानकों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप हो तथा वर्गीकरण जैसी भी स्थिति हो ठोस, योग्य एवं अयोग्य श्रेणी में किया जाय। छपान के समय वन निगम के कार्मिकों की भी मौजूदगी एवं योगदान आवश्यक हैं। छपान एवं आयतन गणना के सम्बन्ध में (1) पश्चिमी वृत्त के सर्कुलर सं0 124/2–7–1 दिनांक 19–11–1956 (संलग्नक–1), (2) मुख्य वन संरक्षक प्रबन्ध, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश नैनीताल के पत्र सं0 1312/3–7–3 दिनांक 05–12--1988 (संलग्नक–2) एवं (3) मुख्य वन संरक्षक प्रबन्ध, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश नैनीताल के पत्र सं0 1007/37–31 दिनांक 25–11–1992 (संलग्नक–3) का भी संज्ञान लेते हुए वृक्षों के छपान, आयतन गणना, रायल्टी आंगणन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

लौटो का आवंटन निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप हो तथा विक्रय सूची की दस पुस्तिकाएँ वन प्रभाग से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। वर्तमान में लागू कटान चिरान शर्तों के बिन्दु सं0 27 में निकासी के सम्बन्ध में उल्लिखित *''उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा मुद्रित निकासी रवन्ना पुस्तकों को रेन्ज कार्यालय से पंजीकरण करवाकर प्रयोग में लाने की अनुमति होगी। यह कार्य पुस्तक जमा करने के तीन दिनों के अन्दर होगा''* के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जाए।

अतः आप उपरोक्तानुसार प्रदत्त आदेशों के अनुक्रम में परिपालनार्थ कार्यवाही में योगदान करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाय यदि किसी लौट में उक्त प्रक्रिया एवं आदेशों का परिपालन न हो पाये तो उसके विषय में सम्बन्धित वनाधिकारियों का ध्यानाकर्षण करते हुए समाधानात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाए।

संलग्नक : यथोपरि। (31)

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)

प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्र संख्या- P.Q.-229 / दिनांक : 11, सितम्बर 2015

स्थायी आदेश

उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित होने वाले लौटों के वृक्षों के छपान में ठोस, योग्य तथा अयोग्य श्रेणीयॉ निर्धारित हैं। किन्तु छपान के समय में वृक्षों के वर्गीकरण में कई त्रुटियॉ दृष्टिगोचर हो रही हैं। लौटो के आवंटन हेतु आवंटन समय सारणी भी निर्धारित है जिसका पालन नहीं हो रहा है। विक्रय सूचियॉ एवं छपान सूचियॉ भी विलम्ब से वन निगम को उपलब्ध कराई जा रही हैं। लौटें विलम्ब से आवंटित होने पर लौटों के पातन कार्य में विलम्ब होता है और जब अक्टूबर से मार्च तक प्रकाष्ठ की बाजार में अच्छी मांग होती है उस अवधि में डिपुओं में पर्याप्त मात्रा में प्रकाष्ठ आदि उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस विलम्ब के फलस्वरूप अभीक्षित राजस्व प्राप्ति भी प्रभावित होती है। उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु निम्नवत स्थायी आदेश जारी किए जाते हैः-

1. **वृक्षों का छपान एवं वर्गीकरणः**- वृक्षों का छपान निर्धारित मानकों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप करते हुए वर्गीकरण ठोस , योग्य एवं अयोग्य श्रेणी में किया जाय। छपान कार्यवाही में वन निगम के कार्मिक भी उपस्थित रह सकते हैं। छपान एवं आयतन गणना के सम्बन्ध में (1) पश्चिमी वृत्त के सर्कुलर सं0 124/2-7-1 दिनांक 19-11-1956 (संलग्नक-1), (2) मुख्य वन संरक्षक प्रबन्ध, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश नैनीताल के पत्र सं0 1312/3-7-3 दिनांक 05-12-1988 (संलग्नक-2) एवं (3) मुख्य वन संरक्षक प्रबन्ध, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश नैनीताल के पत्र सं0 1007/37-31 दिनांक 25-11-1992 (संलग्नक-3) का भी संज्ञान लेते हुए वृक्षों के छपान, आयतन गणना, रायल्टी आंगणन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
2. **कार्य योजना के अनुसार छपानः**- वृक्षों का छपान करते समय कार्ययोजना में दिए गए Marking rules को भी कड़ाई से पालन किया जाय।
3. **लौटो का आवंटनः**- वन निगम को लौटें निर्धारित समय सारिणी के अनुसार आवंटित की जायें जिसमें (क) पर्वतीय क्षेत्रों के चीड़ एवं मैदानी क्षेत्रों की सभी प्रजातियों की मुख्य पातन लौट व गौड़ वन उपज के मुख्य लौट विलम्बतम 31 जुलाई तक तथा (ख) पर्वतीय क्षेत्रों के देवदार, कैल, फर/स्प्रूस एवं मैदानी क्षेत्रों के सम्पूरक लौट विलम्बतम 31 दिसम्बर तक लौट आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
4. **विक्रय सूचीः**- लौटों की विक्रय सूची के साथ छपान सूची भी वन निगम को उपलब्ध करायी जाय। विक्रय सूची को सजिल्द बाइन्ड कराते हुए 50 पुस्तिकाएँ तैयार कराई जायें जिसमें से 10 पुस्तिकाएँ वन निगम को उपलब्ध करायी जायें तथा 40 पुस्तिकाएँ वन विभाग के प्रयोग हेतु वन प्रभाग में संरक्षित की जायें। विक्रय सूची की पुस्तिकाएँ तैयार करने में आने वाले व्यय का वहन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा जिसकी मांग प्रमुख वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक (कार्ययोजना) के माध्यम से कर ली जाय।
5. **निकासीः**- वर्तमान में लागू कटान चिरान शर्तों के बिन्दु सं0 27 में निकासी के सम्बन्ध में उल्लिखित *"उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा मुद्रित निकासी रवन्ना पुस्तकों को रेन्ज कार्यालय से पंजीकरण करवाकर प्रयोग में लाने की अनुमति होगी। यह कार्य पुस्तक जमा करने के तीन दिनों के अन्दर होगा"* के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जाए।

उपरोक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू किए जाते हैं।

संलग्नक : यथापरि।

उ0व0वि0नि0, शिविर कार्यालय, देहरादून।
प्राप्ति क्र0 8148 दिनांक 16/9/15

अधि0	विधि	ई0मी0एफ0	नियोजन
लेखा	शिविर	आर0टी0आई0	विपणन
आडिट	भण्डार	गवन प्रभारी	खनन
वेतन			

MD/GM/RM/OS

(डा0 एस0 चन्दोला)
प्रमुख वन संरक्षक

संख्या- PQ-229 ( )/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी उत्तराखण्ड।
2. प्रबन्ध निदेशक/समस्त महाप्रबन्धक/समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/समस्त प्रभागीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
3. गार्ड फाईल।

(डा0 एस0 चन्दोला)
प्रमुख वन संरक्षक

उत्तराखण्ड वन विकास निगम
शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास भवन, 73-नेहरू रोड, देहरादून, दूरभाष :-0135-2657610, फैक्स :-0135-2655486

पत्रांक-एन- 2746 /13-1 /छपान /2015-16 दिनांक 24 जुलाई, 2015

सेवा में,

1-समस्त महाप्रबन्धक ,
2-समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

विषय- वर्ष 2015-16 में वृक्षों का छपान तथा ठोस, योग्य तथा अयोग्य पेड़ों के आवतनएवं रॉयल्टी आंगणन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक एन-2489/13-13/छपान 2015-16 दिनांक 14.07.2015 एवं एन-1453/छपान दिनांक 06.06.2015

महोदय,

आप अवगत है कि वन निगम की उत्पादकता-लाभप्रदता वृक्षों के छपान एवं उसकी गुणवत्ता पर निर्भर पर है। वन निगम कार्मिकों का दायित्व है कि वृक्षों के छपान एवं आवंटन में त्वरित प्रयास किया जाय। उत्पादन सत्र 2015-16 में सम्भावित छपान एवं आवंटन होने वाले वृक्षों की सूची तैयार करने एवं वन विभाग के साथ योगदान करने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0-एन-2489/13-13/छपान 2015-16 दिनांक 14.07.2015 द्वारा निर्देश प्रदत किये जा चुके है। वृक्षों के छपान एवं आवंटन कार्यवाही में प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक सहित प्रभाग के कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वृक्षों के छपान के समय वन निगम के कार्मिक अवश्य उपस्थित रहें और छपान गुणवत्ता की पुष्टि भी करें।

संज्ञान में आया है कि कतिपय पर्वतीय क्षेत्र के वन प्रभागों में सूखे-उखडे वृक्षों को एक ही श्रेणी में छपान कर आवंटित किया जा रहा है एवं ठोस मानकर रॉयल्टी भी आगणित की जा रही है। यह भी अवगत हुआ है कि हरे वृक्ष के सापेक्ष सूखे वृक्ष की निर्धारित कीमत 3/4 किये जाने का भी पालन कुछ वन प्रभागों में नहीं हो रहा है। यदि ऐसी प्रक्रिया है तो इस प्रक्रिया से देय रॉयल्टी के सापेक्ष वन निगम द्वारा वन विभाग को अधिक रॉयल्टी भुगतान हो रही होगी, इस सम्बन्ध में आप परिक्षण कर लेवें, यदि रॉयल्टी अधिक भुगतान हुई हो तो हुई अधिक रॉयल्टी का समायोजन शीघ्र करा लेवें अन्यथा की स्थिति में प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक सहित प्रभाग के सम्बन्धित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

वृक्षों के वर्गीकरण, ठोस, योग्य एवं अयोग्य पेड़ों के आवतन के आंकलन के सम्बन्ध में, और खैर वृक्षों के आयतन निकलने में कतिपय महत्वपूर्ण आदेश संलग्न किये जा रहे है। वृक्षों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त के सर्कुलर सं0-124/2-7-1, दिनांक 19.11.1956 (संलग्नक-1) द्वारा प्रक्रिया निर्धारित है। मुख्य वन संरक्षक, प्रबन्ध, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, नैनीताल के पत्र सं0-1312/3-7-3 दिनांक 05.12.1988 (संलग्नक-2) द्वारा ठोस, योग्य एवं अयोग्य पेड़ों के आयतन आकलन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्रदत किए गए हैं। इसी तरह मुख्य वन संरक्षक, प्रबन्ध, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, नैनीताल के पत्रांक-1007/37-31, दिनांक 25.11.1992 (संलग्नक-3) द्वारा खैर वृक्षों के आयतन गणना के सम्बन्ध में निर्देश प्रदत हैं। इन आदेशों के अनुसार आपसे अपेक्षा की जाती है कि वृक्षों के छपान, आयतन आगणन, रॉयल्टी भुगतान कार्यवाही आप द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी। यदि छपान, आयतन आगणन, रॉयल्टी भुगतान के सम्बन्ध में यदि कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो उक्त विसंगति-आपत्ति को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अवश्य दर्ज करायी जाय इसमें कोई शिथिलता न बरती जाय।

अतः आप वृक्षों के छपान एवं आवंटन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि हेतु अपना योगदान देने का कष्ट करें। सुसंगत आदेशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वृक्षों का वर्गीकरण, आयतन आकलन एवं रॉयल्टी आगणन-भुगतान की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय। यदि कोई विसंगति /आपत्ति है तो सुधारात्मक कार्यवाही तत्काल अमल में लाई जाय।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरिलिखित आदेशों की प्रतियां संलग्न कर निर्धारित प्रक्रियानुसार वृक्षों का वर्गीकरण, आयतन आंकलन, रॉयल्टी आगणन-भुगतान की कार्यवाही में स्पष्टता एवं विवाद रहित कार्यवाही के उपाय एवं अनुरोध सहित प्रेषित।
यथोपरि।

(हस्ताक्षर)
(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

संलग्नक-1

संलग्नक : ६ – वृक्षों का वर्गीकरण

Office of the Conservator of Forests, Western Circle, UP
G.B. Circular No. 124/2-7-1 Dated Nainital, Nov. 19, 56

To.

All Divisional Forest Officers,

Western Circle, U.P.

Sub : Classification of trees into sound, fit and unfit in markings for marking lists and sale lists and marking instructions.

Memo: In supercession of Conservator of Forest Western Circle's G.B. Cir. No. 10 dated 17.10.38 dated 15.12.84 No. 57 dated 1.3.50 and No. 66/2-7-1 dated 22.10.52 the following instructionsAre issued regarding classification of trees into Sound, Fit and Unfit for marking. and sale lists.

1. **Classification of trees into sound, fit and unfit for marking and sale lists.**

Classification into sound, fit and unfit should be done for all trees of and above 12" in diameter. Below 12" diameter classification may be adopted for valuable species where conversion is close and classification desirable, usually into fit and unfit only.

A. For sal, sain and chir only

(i) The following definitions for classification into sound, fit and unfit tree are given:

Sound	67-100%	i.e. 2/3rd or more of the bole length of absolutely sound tree.
Fit	34-66%	i.e. 1/3 to 2/3 of the bole length of absolutely sound tree.
Unfit.	0-33%	i.e. Nil to 1/3 of the bole length of absolutely sound tree.

(ii) The classification of trees into sound, fit and unfit will be done by comparing the actual commercial bole of each tree with the standard commercial bole that diameter class. For this purpose a table has been prepared which is attached herewith and in which bole lengths are given for the various quality classes and for sound, fit and unfit trees.

(iii) Whereas the bole length will be the primary guiding factor in the classification of trees into sound. fit and unfit it will not be the sole guiding factor as knottiness of the bole. Whether it is hollow from inside or not etc. will also be given due consideration and thus the sawn outturn expected from that tree will also have to be kept in mind. For this reason the above table also gives the sawn outturn range expected form a sound, fit and unfit tree to facilitate the classification of a tree into its proper class depending upon its proper class depending upon its bole length and expected sawn timber outturn.

(iv) To use this table, It will be necessary to find out the quality class of each individual treee by estimating the height of that treee. Once the quality class is determined, the commercial bole lenght of the tree will next be measured. The bole length so obtained will then be compared with the bole length given against that quality class in the table and if the bole is knotty. crooked, gaujy of otherwise defective, the expected sawn timber outturn from that will also be compared with that given for that quality class in the table and the tree classified into sound. fit and unfit accordingly.

(v) For purposes of finding out the quality class of any individual tree or a group of trees. the following height classes will be used.

Diameter class	Height range for quality			
	I	II	III	IV
8" – 12"	75' & over	70'-74'	65'-69'	64' and under
12" – 16"	95' & over	85'-94'	70'-84'	69' and under
16" & over	Over 110'	90'-100'	70'-89'	Under 70'

Where the quality of a crop is uniform throughout the whole compartment or coupe, it w... quite easy To find out the quality class by measuring a certain Percentage of the dom... trees over 16" in diameter, but it is possible that the quality of the crop may very from cou... coupe to coupe or from one end of the compartment to another. It will, therefore, be neces... to find out the average quality class in such cases. To find out the average quality of the ... the marking officer must measure at least 10% of the dominant sound trees over 1... diameter and record these height, The height should be measured with the help of ... bamboo stick and verified by actual measurement with the Abney's level or any other ... measuring instrument.

B. For all other species except Sal, Sain, Chir, Khair and Sandan.

The following definition for classification into sound, fit and unfit will be adopted,

Sound - Capable of yielding from any part of the tree at least one sound and reasonably str... and cylindrical log of 10' or more in lenght with mid diameter of not less than 4/5 ... diameter at breast height.

Fit - As above except that the length of the log shall range from 5' to under 10'

unfit - As above except that the length of the log shall be under 5'.

C. For Khair only

Khair will be classified into fit and unfit only. A fit tree is one which is estimated to yieldat least ... log 8' long billets aggregating length with a minimum top diameter of 6" over bark, fit for K... *manufacture.*

D. For Sandan only

Sandan will be classified into fit and unfit only. A fit tree is one which is expected to yield at leas... soundAnd straight logs each 3' long and not less than 8" diameter after turning into billets.

MARKING INSTRUCTIONS.

The Importance of marking trees correctly should be realised by the superior Forest Officers a... far as possible the new Gazetted officers of the Department should be required to do it themse... at least the first 3 to 5 years of their service. I am accordinqly to request you to issue neces... instructions in this matter and to see that the complaints as to inadequate yield from trees ow... defective marking are minimised.

The following directions are issued :-

1- No marking shall be done by any staff below the rank of a Forester of less than 3 to 5 ... service but as faras possible marking should be given to senior trained and more experie... staff.

2- The Range Officers and GazetteAssistants must mark at least on important coupe.

3- Frequent checking of markings and tree classifications by Range Officers,ACFs & Divis... Forest Officers & racordingof their impressions of the markings and checkings on the ... books.

When an old marked tree (unfelled, tree of previous marking) is remarked for felling, the old ...rmer mark should be erased and a distinct new hammer mark made on the blaze which should be ...ade.

...ncellation of marked trees:-

(a) Not to be resorted to as a practice. if done, Conservator of Forests must be informed.

(b) X should be grooved byaxe in both the blazes after erasing marking hammer impressions from such tree and coaltar should be put in the grooves. In addition such trees should be branded by a ring at B.H. by white paint and also serially numbered by white paint.

(c) A list of cancelled trees by species and diameter classes should be maintained and also given in the sale list.

(d) Separate serial die – number-s to be given for different important species over 12" diameter eg. sal, sain, Chir, Khair, sisoo, Tun, Haldu, Gutel Kanju and semal etc.

(e) Lopping. If a tree is to be lopped before felling a large L should be painted in coaltar on the uppre blaze.

In addidtion to showing the main species, green and dry trees, broken trees, and stumps should also be shown separately. All broken trees having a bole of 8 ft. & less should be shown as stumps. All boles broken above 8' shall be shown as broken trees.

In cultural operation lots in addition to the above classification, the felled material should also be shown separately. For example-

	0" – 8"	8" – 12"
Sal green	7	10
Sal dry	12	8
Sisso dry	2	3
Sal broken	7	-
Sal stumps	2	11
Sal felled	7	3

A.C.Fs. to check thoroughly at least one lot (to be selected at random by D.F.O.) of each marking Officer by re – enumerating marked trees by diameter classes and keeping record of numbered trees in the mame way as done by marking officer. The comparison of the two will prove the accuracy or otherwise of the marking record of that marking officer. At the same time, the fear that his lot may be checked in the above way will make him to maintain his record accurately.

...0. Marking of one branch of a forked tree should usually be avoided. Where necessary both the forks may be marked.

...1. In a firewood lot, too avoid any misunderstanding ficus species (Pipal, Bargad etc) and species not usually used for firewood (Such as pula, madar etc) should be shown separately.

(J.R. Singha) IFS.
Conservator of Forests.
Western Circle UP

संलग्नक 2

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक [वन पंचायत], उत्तर प्रदेश, नैनीताल।

पत्र संख्या- 1312 /3-7-3[प्रबन्ध] दिनांक- नैनीताल दिसम्बर-5, 1988,

सेवा में,

[1] समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
[2] समस्त निदेशक, उत्तर प्रदेश।

विषयः- ठोस योग्य तथा अयोग्य पेड़ों के आयतन के आंकलन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- इस कार्यालय का पत्रांक-333 टी.सी./37-7-1[1], दिनांक- 26-6-1978,

वृक्षों के आयतन निकालने हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित आयतन सारणी में दिये गये गुणकों को प्रयोग में लाने के लिये आदेश प्रसारित किये गये थे। ये गुणांक ठोस हरे पेड़ों के लिये हैं। परन्तु इन आदेश में ठोस, योग्य व अयोग्य वृक्षों के आयतन के अनुपात को निकालने जाने के लिये कोई आदेश नहीं दिये गये हैं। महालेखाकार उ0 प्र0 की आडिट पार्टी द्वारा विभिन्न वन प्रभागों में आडिट के समय यह दृष्टिकोण लिया गया है कि योग्य व अयोग्य वृक्षों के आयतन के लिये इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र से पूर्व प्रसारित विभिन्न वृक्षों के आयतन निकालने हेतु जारी "स्थायी" आदेशों में दिये गये गुणकों के निर्धारित ठोस, योग्य व अयोग्य के अनुपात के अनुसार आयतन का आंकलन किया जा रहा है। आडिट द्वारा यह इंगित किया गया है कि ठोस के लिये उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुसार आयतन निकाला जाए और योग्य व अयोग्य के लिये पुराने स्थायी आदेशों के अनुसार। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र के अन्तर्गत आयतन गुणकों का सभी वृक्षों के लिये एकरूपता लाने के उद्देश्य से पुनरीक्षण करके सही और अधिक वास्तविक बनाया गया है। ठोस, योग्य व अयोग्य के लिये अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे यह पुराने गुणक हों अथवा पुनरीक्षित गुणक हों। यदि भविष्य में और अधिक वास्तविक गुणक ज्ञात होंगे तो उनका उपयोग किया जायेगा, परन्तु ठोस, योग्य व अयोग्य का अनुपात पूर्वानुसार ही बना रहेगा।

2- उक्त स्थिति के निराकरण हेतु निम्नलिखित आदेश दिये जा रहे हैं:-

[1] वृक्षों के आयतन के आंकलन के लिये इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र के साथ दिये गये आयतन गुणकों का प्रयोग करें। ये गुणक हरे वृक्षों के लिये हैं।

[11] ठोस, योग्य व अयोग्य के लिये निम्नलिखित अनुपात ही लिया जाय:

ठोस	-	1
योग्य	-	2/3
अयोग्य	-	1/3

अर्थात योग्य वृक्ष का आयतन उसी ठोस वृक्ष का 2/3 होगा तथा अयोग्य वृक्ष का आयतन उसी ठोस का 1/3 होगा। इसी प्रकार अयोग्य वृक्ष का आयतन योग्य वृक्ष का 1/2 होगा।

[111] सूखे वृक्षों के लिये इस कार्यालय के पत्र सं0 1783/37-7-1, दिनांक- 28-3-88 द्वारा पहिले से ही आदेश प्रसारित किये गये हैं। उसके अनुसार सूखे पेड़ों की मात्रा हरे पेड़ों की मात्रा का 3/4 होनी चाहिये। सूखे अयोग्य वृक्ष का आयतन सूखे योग्य वृक्ष का 1/2 होगा।

कृपया भविष्य में वृक्षों के आयतन के आंकलन हेतु उपरोक्त आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ह0/-

[illegible]

मुख्य वन संरक्षक [प्रबन्ध] उ0 प्र0, नैनीताल

[illegible] मुख्य वन संरक्षक, प्रबन्ध, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, नैनीताल ।

/ 3/-3(अप्रयो) दिनांक शिविर लखनऊ, नवम्बर 25, 1992

(1) समस्त वन संरक्षक, उ0प्र0 ।

(2) समस्त क्षेत्रीय निदेशक, उ0प्र0

(3) समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक ।

[illegible] वृक्षों के आयतन निकालने के सम्बन्ध में ।

विभिन्न वन वृत्तों में खैर के वृक्षों का आयतन आंकलन करने के लिये विभिन्न [illegible] रही हैं । जिस पर महालेखाकार की ऑडिट पार्टी द्वारा आपत्ति [illegible] है। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये जा रहे हैं–

[illegible] से आच्छादित खैर वृक्षों के प्राप्ति आयतन का आंकलन हेतु [illegible] की सं0 [illegible] 533–टी.सी. दिनांक 26–6–1978 के संलग्नक [illegible] में दिये निम्नलिखित वास्तविक टिम्बर के मूल्य प्रयोग किये जायें ।

[illegible] टिम्बर/अन्डरवार्क मीटर में [illegible]

[illegible] सेमी0 में के एक हरे योग्य वृक्ष का आयतन

[illegible]	20120–30130–40140–50150–60160–70170–80180–90190 और [illegible]								[illegible]
		6	7	8	9	10	.395		
-	.255	595	1.104	1.713	2[illegible]				

(2) [illegible] वृक्षों से प्राप्त हरे वृक्षों की प्राप्ति का 3/4 माना जायेगा तथा खैर वृक्ष [illegible] योग्य और अयोग्य वर्गों में किया जायेगा ।

(3) अयोग्य खैर वृक्ष का आयतन उक्त योग्य वृक्ष के आयतन का आधा होगा ।

(4) उपरोक्त [illegible] तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

ह0/-
(जवाहर लाल)
मुख्य वन संरक्षक,
प्रबन्ध, अनुसंधान एवं प्रशि0।
उ0प्र0, नैनीताल ।

[illegible] /1/ [illegible] दिनांक

प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही [illegible] प्रेषित ।

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही [illegible] प्रेषित ।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय प्रबन्धक/केन्द्रीय क्षेत्र उ0प्र0 वन निगम, लखीमपुर खीरी को [illegible] [illegible]/साउथ/खैर पृ0 [illegible] दिनांक 20-10-92 के संदर्भ में सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । इससे उनके उक्त पत्र का निस्तारण स्वतः हो जाता है ।

ह0/-
(जवाहर लाल)
मुख्य वन संरक्षक
प्रबन्ध, अनुसंधान एवं प्रशि0 उ0प्र0
नैनीताल ।

[illegible] मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक [illegible] । कृपया इस अनुमोदन के लिये प्रस्ताव [illegible]

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

अरण्य विकास भवन, 73–नेहरू रोड, देहरादून, दूरभाष :–0135–2657610, फैक्स :–0135–2655488

पत्रांकः एन0 3868/13–1/लौट आवंटन दिनांकः 11 सितम्बर 2015

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– *प्रकाष्ठ आदि की लौटों का आवंटन।*

सन्दर्भ :– *(1) उ0प्र0 शासन, वन अनुभाग–1 द्वारा जारी शा0आ0सं0 8865/14–01–1978 दि0 07–09–1078,*
(2) अपर प्रमुख वन संरक्षक (का0यो0) उत्तराखण्ड की पत्र सं0 341/09–1(11) दि0 03–11–2012 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा लौटों में कार्य करने हेतु कटान चिरान शर्तें जारी की गयी हैं, जिसमें लौट आवंटन हेतु समय सारणी का भी उल्लेख है। (क) पर्वतीय क्षेत्रों के चीड़ एवं मैदानी क्षेत्रों की सभी प्रजातियों की मुख्य पातन लाट व गौण वन उपज मुख्य लाट विलम्बवत् 31 जुलाई तक तथा (ख) पर्वतीय क्षेत्रों के देवदार, कैल, फर/स्प्रूस एवं मैदानी क्षेत्र के सम्पूरक लौट विलम्बवत 31 दिसम्बर तक आवंटित किए जाने की समय सारिणी निर्धारित है। किन्तु वर्तलान में निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप वन निगम को लौटें प्राप्त नहीं हो पा रही है जिस कारण लौटों के पातन कार्य में विलम्ब होता है और जब अक्टूबर से मार्च तक में बाजार में प्रकाष्ठ की अच्छी मांग होती है, उस अवधि में बिक्री हेतु डिपो में पर्याप्त मात्रा में प्रकाष्ठ आदि उपलब्ध नहीं हो पाता है। फलवरूप राजस्व प्राप्ति भी प्रमाणित होती है। यह भी आपके संज्ञान में लाना है कि सामान्यतः विक्रय सूची के साथ छपान सूची उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिस कारण वृक्षों की गणना में कठिनाई के साथ–साथ पुष्टि में विलम्ब होता है।

आपके संज्ञान में लाना है कि लौटो के निर्धारित समयानुसार आवंटन एवं विक्रय सूची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक लखनऊ, उत्तर प्रदेश के स्थायी आदेश सं0 प. 225/6–57 (लाट) दिनांक लखनऊ, अगस्त 07, 1999 द्वारा स्थायी आदेश जारी किये गये है सुलभ सन्दर्भ छाया प्रति संलग्न है।

आवंटित होने वाले वृक्षों के छपान, वर्गीकरण तथा आयतन आगणन हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या एन0 2746/13–1/छपान दि0 24–07–2015 द्वारा निवेदन किया गया है जिसपर आपके स्तर से आदेश जारी किए जाने हेतु अनुरोध है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि वनों में कार्य करने हेतु लागू कटान, चिरान शर्तो के अनुरूप निर्धारित समयानुसार लौट आवंटित करवाने एवं विक्रय सूचियां बाइडिंग कर प्रस्तिका के रूप में उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। विक्रय सूची प्रिन्ट कराने, बाइडिंग कराकर पुस्तिका तैयार कराने में आने वाले व्यय को वहन करने हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम सहर्ष तैयार हैं।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या– 3868 (1)/दिनांकित।

प्रतिलिपिः– उपरोक्त सन्दर्भित आदेशों की प्रतियां संलग्न कर निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

संलग्नक : ३ – कटान चिरान की शर्तें

...ा-८८६५/१४.१.१९७८-१/१९७८

...क.

एन.पी. त्रिपाठी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

...ा में,

अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (प्रबन्ध)

उत्तर प्रदेश, नैनीताल

वन अनुभाग-(१)

दिनांक, लखनऊ ७ सितम्बर, १९७८

...षय : उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा वनों में कार्य करने हेतु कटान चिरान की शर्तें

...दय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा उनको आवंटित वनों की लाटों में कार्य करने हेतु कटान चिरान की शर्तें शासन के विचाराधीन थी। विचारोपरान्त शासन ने शर्तों को अन्तिम रूप दिया है जिसकी एक प्रति संलग्न है। कृपया अग्रिम कार्यवाही करें।

भवदीय,

ह.

एन.पी. त्रिपाठी

सचिव

संख्या-८८६५(१)१४-१-१९७८-१/१९७८

प्रतिलिपि Finalised शर्तों की एक प्रति सहित प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

ह.

एन.पी. त्रिपाठी

सचिव

६.९.७८

उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा वनों में कार्य हेतु कटान/चिरान की शर्त

वन निगम निम्न शर्तों व नियमों के अनुसार कार्य करेगा :-

१. जिन लौटों में वन निगम द्वारा कार्य किया जाना है उसका लिखित रूप से आदान-प्रदान होगा। इस हेतु सामान्य रूप से चीफ लॉ अधिकारी (प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक) लिखित रूप से प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजि अधिकारी को सूचित करेंगे तथा लौट में कार्य प्र करने से पूर्व कार्य भार ग्रहण करने तथा कार्य समाप्त होने पर कार्य भार देने की सूचना लिखित रूप से प्रस्तुत करेंगे। इन लौ वन निगम कार्यभार लेने की तिथि से जब तक उसका त्याग-पत्र स्वीकार नहीं हो जाता तब तक जिम्मेदार होगा।

२. जिन लौटों में वन निगम द्वारा कार्य करना है, उनमें निगम द्वारा कार्यभार ग्रहण व कार्यभार समाप्त करने की विधि वही होगी जो ठेके को लागू होती हैं। वन निगम के अधिकृत प्रतिनिधि रजिस्टर में तथा मानचित्र में (जिसमें लौट की सीमा दर्शायी गई है) तथा अभिलेखों में हस्ताक्षर करेंगे और उसी तिथि से वन निगम उन लौटों के लिए जिम्मेदार होगा।

३. वन निगम अपने घनों (हैमर) का पंजीकरण करायेगा तथा प्रत्येक पंजीकृत घन केवल एक इकाई में ही प्रयोग में लाया जायेगा।

४. वन निगम के इकाई अधिकारी के पास उनका व्यक्तिगत घन होगा जो कि संयुक्त निरीक्षण के समय अवैध कटान व क्षति वाली उपज पर लगाया जायेगा।

५. वन निगम द्वारा कार्य किये जाने वाले लौटों में खूंट मोहर्रिर की संख्या सामान्य रूप से ठेकेदार द्वारा कार्य किए जाने वाले लौटों में मोहर्रिर की संख्या का ५० प्रतिशत कम होगी। ये खूंट मोहर्रिर गिराये गये पेड़ों के प्रकाष्ठ की मात्रा इत्यादि जो निकाली जा रही तथा क्षतिग्रस्त वन उपज व उसकी प्रकृति यदि कोई होगी के अभिलेख भलीभांति रखेंगे।

६. वन निगम यदि किसी लौट में पेड़ों की पुनः गणना करवायेगा तो उस पर भी ठेकेदारों की भांति विक्री नियमों के अन्तर्गत निर्धारित लागू होंगे।

७. सामान्य विक्रय शर्तों की भांति वन निगम उस लौट का जिसमें कार्य पूरा हो चुका है, त्याग-पत्र देगा। यह त्याग-पत्र संयुक्त जांच-पड़ के बाद एक महीने के अन्दर वन विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। सम्बन्धित पत्रों में वन निगम का अधिकृत प्रतिनिधि हस्त करेगा। यदि लौट में किसी प्रकार की हानि सम्बन्धी विवाद वन निगम के कर्मचारियों तथा वन विभाग के कर्मचारियों में होगा तो पर निर्णय प्रभागीय वनाधिकारी का होगा यदि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्णय से निगम संतुष्ट न हो तो उसे सम्बन्धित अरण्यपाल प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

८. शासनादेश संख्या-११५७८/१४-१-७८-१ (७)/७६, दि. ५.१२.७८ द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वन निगम को आवंटित/बेचे लाट्स का मूल्य सार्वजनिक नीलाम द्वारा ऐसी ही तुलनात्मक (कम्परेबिल) लाट्स के लिए गत तीन वर्षों में प्राप्त मूल्य के औसत कम न होगा और हर लाट का मूल्य वर्ष की सभी सुसंगत बातों को दृष्टि में रखते हुए निश्चित किया जाएगा। यह आदेश पूर्व प्रस शासनादेश संख्या-१०१२७/१४-१-१-७५, दिनांक १८-२-१९७६ के दिनांक से लागू होंगे।

९. वन निगम द्वारा देय रायल्टी का निर्धारण शासनादेश संख्या ११५७८/१४-१-७८-१ (७)/७६ दिनांक ५ दिसम्बर १९७८ तथा शास की अर्ध शासकीय पत्र संख्या १०७५८/१४-१-१९७७, दि. २६ सितम्बर १९७७ के अनुसार किया जायेगा।

१०. शंकुधारी प्रजातियों के लौटों के अलावा अन्य प्रजातियों के लौट के लिए निगम के लिए किश्तों की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित रहेगी :

(क) लौट के मूल्य का एक तिहाई-मार्च १ को-लौट के वर्ष में

(ख) लौट के मूल्य का दूसरा तिहाई-जून १ को-लौट के वर्ष में

(ग) लौट के मूल्य का वकाया-सितम्बर १ को-लौट के वर्ष में

११. शंकुधारी प्रजातियों के लिए किश्तें निम्न प्रकार होंगी :-

(क) चींड़ के लौटों के लिए

(i) जो लौट सितम्बर, अक्टूबर में आवंटित किये जाते हैं :-

(अ) यदि निकासी सड़क द्वारा की जाए तो उनके किश्तों की तिथियाँ उपरोक्त नियम (१०) के अनुसार होंगी।

(ब) यदि निकासी वहान द्वारा की जाए तो भुगतान की अन्तिम तिथि लगभग सत्रह मास बाद तीसरे वर्ष मार्च १ को होगी। (उदाहरण के लिए सितम्बर १६७६ में आवंटित चीड़ के लौटों के लिए अन्तिम तिथि मार्च १ १६७८ होगी।)

(ii) यदि कोई लौट सितम्बर/अक्टूबर के बाद आवंटित किया जाये तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ऐसे लौटों के किश्तों की तिथियाँ उतनी ही अवधि से आगे बढ़ाई जाएंगी जितनी अवधि से लौटों का आवंटन माह सितम्बर/अक्टूबर के पश्चात् हुआ हो।

(ख) देवदार, कैल व फर लौटों के लिए

(I) दिसम्बर-जनवरी में आवंटित किये जाने वाले लौटों के लिए:-

(अ) जिन लौटों की निकासी सड़क द्वारा की जायेगी।

(i) एक तिहाई अगली सितम्बर की पहली तारीख।

(ii) दूसरी तिहाई किस्त अगली पहली जून।

(iii) तीसरी किस्त अगली पहली दिसम्बर।

उदाहरण के लिए-दिसम्बर १६७७/जनवरी १६७८ में आवंटित लौटों की किस्ते उपरोक्त आधार पर निम्न प्रकार होगी :-

पहली किस्त.................................१-६-७८

दूसरी किस्त.................................१-६-७६

तीसरी किस्त.................................१-१२-७६

(ब) यदि निकासी वहान द्वारा की जाए तो भुगतान की अन्तिम तिथि लगभग २६ महीने बाद पहली अप्रैल को तीसरे वर्ष में होगा। (उदाहरण के लिए दिसम्बर १६७७/जनवरी १६७८ में आवंटित लौटों के लिए अन्तिम भुगतान की तिथि मार्च १,१६८० होगी।)

(II) यदि कोई लौट माह दिसम्बर/जनवरी के बाद आवंटित किया जाए तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ऐसे लौटों की किश्तों की तिथियाँ उतनी अवधि से आगे बढ़ाई जायेंगी जितनी अवधि से लौटों का आवंटन माह दिसम्बर/जनवरी के पश्चात हुआ हो।

(ग) अगर चीड़, देवदार आदि के कुछ लौटों में निकासी आंशिक रूप से रोप-वे, खड्ड वहान नाली या नदी वहान और आंशिक रूप से सड़क से होती है तो किस्तों की देय तिथि वही होगी जो पूर्ण वहान द्वारा निकासी के लौटों के लिए होती है।

२. उपरोक्त निर्धारित तिथियों पर भुगतान न करने पर निगम से विलम्ब शुल्क वृत्त के साधारण नियमों के अन्तर्गत उसी दर पर लिया जायेगा, जिस दर पर ठेकेदारों से लिया जाता है।

३. निगम को आवंटित लौटों में निर्धारित कार्यकाल में काम पूरा न होने की दशा में निम्नलिखित विधि अपनाई जायेगी :-

(क) वन निगम मियाद बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र देगा जिसे विद्यमान नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाएगा।

(ख) जिस लौट में निगम आवंटन वर्ष में बिल्कुल कार्य प्रारम्भ नहीं करता उसमें उस वर्ष की रायल्टी की दर लागू होगी जिस वर्ष में निगम उसमें कार्य करेगा।

(ग) जिस लौट में अधूरा काम हुआ हो उस लौट में निगम द्वारा अगले वर्ष मियाद के लिए शुल्क (इक्सटेन्शन फी) देय होगा एवं निर्धारित तिथियों पर अदा न की गयी रायल्टी पर साधारण नियमों के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क भी देय होगा। इनकी दरें वही होंगी जो ठेकेदारों पर लागू होंगी।

४. निगम को मुख्य नीलाम के लौट देर से देर ३१ अक्टूबर तक सौंप दिए जायेंगे और अनुपूरक नीलाम में बिकने वाले लौट व वसन्तगत ऑपरेशन के लौट देर से देर ३१ जनवरी तक सौंप दिये जायेंगे। इस प्रकार सौंपे गये लौटों में निगम को आवंटन वर्ष में ठेकेदारों के लिए साधारण रूप से दी जाने वाली मियाद के अन्दर कार्य पूरा करना होगा।

वन निगम द्वारा मुद्रित निकासी रवन्ना पुस्तकों को रेंज कार्यालय से पंजीकरण करवा कर प्रयोग में लाने की अनुमति होगी।

रेलवे व डी.जी.एस. एण्ड डी. को चिरान की लकड़ी, विद्युत परिषद को बल्लियों व खम्भों की पूर्ति वन विभाग के माध्यम से होगी। वन निगम इन एजेन्सियों से इन पदार्थों के लिए सीधे कोई अनुबन्ध नहीं करेगा। आवंटित स्लीपर, बल्ली आदि की पासिंग निगम अधिकारियों द्वारा स्वयं की जायेगी।

वन निगम विद्यमान नियमों के अन्तर्गत, रोड फीस इत्यादि का भुगतान करेगा।

वन निगम उसके द्वारा स्थापित प्रत्येक डिपो का वार्षिक लीज किराया वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर देगा व डिपो के रख-रखाव में व वहां से निकासी इत्यादि में सभी नियमों का पालन करेगा जो लागू हो।

अन्य शेष विक्री नियम/शर्तें जो सम्बन्धित वन प्रभाग में सामान्य रूप से लागू हो, वन निगम पर भी उसी भांति लागू होंगे, जिस भांति ठेकेदारों पर लागू होती है।

साधारणतः नियमों का अनुपालन न करने व भुगतान में विलम्ब के कारण वन निगम के लौटों से निकासी पर रोक नहीं लगाई जायेगी और न ही ऐसी कोई रोक निकासी की गई वनोपज के विक्रय पर लगाई जायेगी। यदि निगम की ओर किसी नियम या शर्त का गम्भीर उल्लंघन किया जाये तो वह तुरन्त ही सभी अधिकारियों को सूचित किया जायेगा।

रायल्टी निर्धारण नीति में यदि संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हुई तो निम्न गठित समिति अपनी संस्तुति मुख्य अरण्यपाल/शासन को प्रस्तुत करेगी :-

(क) अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (वन प्रबन्ध), उत्तर प्रदेश

(ख) प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. वन निगम

(ग) सम्बन्धित अरण्यपाल।

१. जहां तक सम्भव होगा, वन निगम द्वारा निर्धारित उनके नीलाम की तिथियों पर वन विभाग अपने लौटों का नीलाम नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में वन निगम समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी व अन्य अधिकारियों को अपने नीलाम की तिथियां सूचित करेगा। यदि निगम अन्य तिथियों में नीलाम करेगा तो इसकी स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (वन प्रबन्ध) से लिखित अग्रिम सहमति प्राप्त करेगा।

२. यदि उपरोक्त नियमों में कोई संशोधन या अतिरिक्त नियम जोड़ने की आवश्यकता हुई तो उपरोक्त शर्तों में संशोधन वन विभाग व वन निगम के अधिकृत अधिकारियों की बैठक में निर्णय के आधार पर होगा।

३. वन निगम आवंटित लौटों के लिए न कोई जमानत देगा और न कोई इकरारनामा अलग से भरेगा।

हस्ताक्षर

एन.पी. त्रिपाठी

सचिव

६.६.७८

5686

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

अरण्य विकास भवन, 73–नेहरु रोड, देहरादून – 248 001 दूरभाष 0135-2657610 फैक्स : 0135-2655466

पत्रांक नि : – 5686 /कटान चिरान की शर्तें   दिनांक : 22 फरवरी, 2013

सेवा में,

समस्त महाप्रबन्धक,
समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, (कुमाऊँ)
समस्त प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक,
लेखा प्रबन्धक (मु0),
आन्तरिक लेखा सम्परीक्षा अधिकारी (मु0)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

8154
26/2/13

विषय :– उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों में कार्य करने हेतु कटान चिरान की शर्त के सन्दर्भ में।

सन्दर्भ:– अपर प्रमुख वन संरक्षक (कार्य योजना) उत्तराखण्ड, हल्द्वानी का पत्रांक –341/9–1(14) दिनांक 03.11.2012,

महोदय,

सन्दर्भित पत्र द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों में कार्य करने हेतु कटान चिरान की शर्तें प्राप्त हुई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपके पास आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। संलग्न कटान चिरान शर्तों का अवलोकन कर दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0एस0 बन्दाली)
प्रबन्ध निदेशक

क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0क्षे0)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रांक 5934 / दि0 01/3/13

प्रतिलिपि - प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, लौ0 हल्द्वानी एवं टनकपुर को सन्दर्भित पत्र उपरोक्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

[13]

सं० 341 / 9-1(1)

प्रेषक:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
कार्य योजना,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

प्रेषित,

प्रबंध निदेशक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून।

8573
29-11-12

दिनांक हल्द्वानी 3/11/2012

विषय:- उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों में कार्य करने हेतु कटान -चिरान की शर्तें।

संदर्भ:- 1. प्रमुख वन संरक्षक मूल्यांकन एवं कार्ययोजना उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक 319/16-3 दि0 24-09-1998।
2. सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ का पत्रांक 8865/14-1-1978-1/1978 दि0 07-09-1978।
3. मुख्य वन संरक्षक उत्तर प्रदेश का पत्रांक 6701/8/16-106 दि0 जनवरी 31/फरवरी-04-1957।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरांत वन क्षेत्रों में कार्य करने की विधिक एवं सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन आ गया है। अतः उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों मे कार्य करने हेतु कटान/चिरान की शर्तो को वर्तमान में लागू अधिनियमों एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में संकलित करते हुये संशोधित कर शर्ते संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

उक्त शर्तों का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की सहमति के पश्चात किया जा रहा हैं।

संलग्नक-यथोवत

M.D. Sir
May like to see the
Marked para.

भवदीय,

(ए० आर० सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक (का०यो०)
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 341 (1)/ तद्दिनांकित

प्रतिलिपि - निम्न अधिकारियों को शर्तो की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।

संलग्नक-यथोवत

(ए० आर० सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक (का०यो०)
उत्तराखण्ड।

RM (H.Q.)
study and discuss

उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों में कार्य करने हेतु कटान चिरान की शर्तें

उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8865/14–1–1978–1/1978 दिनांक 07 सितम्बर 1978 द्वारा उ0 प्र0 वन निगम द्वारा वनों में कार्य कराने हेतु कटान चिरान की शर्तें निर्धारित की गयी थी। वन विभाग द्वारा इन शर्तो के अतिरिक्त वन वृत्तवार निर्गत बिक्री के प्रतिबन्धों के अधीन वन लौटों में कार्य करने का प्राविधान किया गया हैं। चूँकि उपरोक्त दोनों ही प्राविधान लगभग 25 से 30 वर्ष पूर्व बनाये गये थे एवं इन वन क्षेत्रों में भी कार्य करने की विधिक एवं सामाजिक स्थितियो में काफी परिवर्तन आ गया है, इसलिये उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों मे कार्य करने हेतु कटान चिरान की शर्तो को वर्तमान में लागू अधिनियमों एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य मे संकलित करते हुये संशोधित कर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:–

1. उत्तराखण्ड वन विकास निगम वन विभाग द्वारा आवंटित लौटो मे कार्य करने हेतु अलग से कोई अनुबंध पत्र नही भरेगा न ही कोई जमानत देगा ।
2. उत्तराखण्ड वन विकास निगम अपने वन विकास प्रभागों का विवरण एवं उनका कार्य क्षेत्र वन विभाग को उपलब्ध करायेगा। यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम अपने वन विकास प्रभागों का पुनर्गठन करेगा तो वह इसकी सूचना वन विभाग को यथा समय उपलब्ध करायेगा।
3. लाटों का आवंटन : प्रभागीय वनाधिकारी संबंधित प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक को लौटों की विक्रय सूचियाँ निम्न समय सारिणी के अनुसार उपलब्ध करायेंगे:
   (क) मुख्य लौट : पर्वतीय क्षेत्रों के चीड़, एवं मैदानी क्षेत्रों की सभी प्रजातियों की मुख्य पातन लौट व गौण वन उपज के मुख्य लौट विलम्बतम 31 जुलाई तक ।
   (ख) पर्वतीय क्षेत्रों के देवदार, कैल, फर/स्प्रूस एवं मैदानी क्षेत्रों के सम्पूरक लौट:– विलम्बतम 31 दिसम्बर तक
   (ग) विकास कार्यो से संबंधित / पी0 एम0 जी0 एस0 आई बोर्ड एवं अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों में गई छापे गये वृक्षों की लौटें स्थिति के अनुसार वर्ष मे कभी भी आवंटित की जा सकती है।
4. वन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उपरोक्त बिन्दु–3 मे दर्शित तिथियो से जितने विलम्ब से वनोपज के लौटों का आवंटन किया जायेगा उतनी ही अवधि से लौटों की कार्यवधि स्वतः ही विस्तारित हो जायेगी।
5. लौटों का आदान प्रदान किया जाना :– जिन लौटों में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कार्य किया जाना है उनका लिखित रूप से आदान प्रदान किया जायेगा। प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा आवंटित लौटों की सूची प्राप्त होने पर प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक निम्न कार्यवाहियॉं करना सुनिश्चित करेंगें :
   (क) लौटों का निरीक्षण :– वन विभाग से प्राप्त विक्रय सूचियों मे छपे हुये वृक्षों की संख्या, छपान वर्गीकरण के संबंध में जॉच कर पुष्टि करेंगे। लौट की सीमाओं के अन्तर्गत किसी प्रकार के बिना छपे वृक्षों के ठूँठ पाये जाने पर उनकी सूचना संबंधित राजि अधिकारी को देते हुये प्रभागीय वन अधिकारी को भी प्रस्तुत की जायेगी। इस प्रकार के ठूँठों का समाधान प्रभागीय वन अधिकारी के स्तर से किये जाने के उपरांत ही लौट मे कार्य आरम्भ करने के संबंध मे अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। यह कार्य 30 दिनों के अंदर कर लिया जाये। बिन्दु संख्या 3 (ग) में दिये गये लौटों के संबंध में यह अवधि अधिकतम 15 दिनों की होगी।

   (ख) प्रतिनिधि की नियुक्ति :– उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा संबंधित वन प्रभाग में प्रत्येक वन राजि के अन्तर्गत कार्य करने वाले अपने कार्मिको को अपने प्रतिनिधि के रूप में पंजीकृत कराया जायेगा। उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्रतिनिधि के रूप में पंजीकृत कराने के लिये कार्मिकों के पाँच नमूने के प्रमाणित हस्ताक्षर तथा उनके तैनाती स्थलों संबंधी सूचना प्रभागीय वन

अधिकारी को उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी । प्रभागीय वन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे किसी प्रतिनिधि के नामांकन के प्रस्ताव को स्वीकृत या कारण दर्शित करते हुए अस्वीकृत कर देवें। संबंधित कार्मिक को द किये जाने वाले कर्त्तव्यों की सूची संबंधित प्रभागीय वन विकास प्रबंधक द्वारा सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) सम्पत्ति घन एवं सम्पत्ति चिन्ह का पंजीकरण कराया जाना :– प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक प्रत्येक लौट के लिये निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय में सम्पति घन का पंजीकरण करवायेंगे। थल मार्ग से निकासी करने के लिए वन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क देकर एक वर्ष आगामी 30 सितम्बर तक के लिए संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी से पंजीकृत कराना पड़ेगा। जल मार्ग से निकासी करने के लिए सम्पत्ति चिन्ह (खुदान मार्क) वन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क देकर पहली जनवरी से तीन वर्ष के लिए पंजीकृत कराने पड़ेंगे। जल मार्ग से होने वाली निकासी हेतु घन सम्पत्ति चिन्ह का पंजीकरण उस प्रभाग में किया जायेगा, जहाँ से वह शुरू होता है भले ही जल मार्ग दो या अधिक वन मार्गों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता हो।

6. छपान का पुनरीक्षण :–

यद्यपि इस बात का यथासंभव प्रयत्न किया जाता है कि विक्रय सूची में लौटों के क्षेत्रफल की संख्या, छपान वर्गीकरण सही– सही अंकित किया जाये तथा अन्य विवरणों में अशुद्धि न हो, परंतु प्रभागीय वनाधिकारी विक्रय सूची में किसी प्रकार की अशुद्धि के उत्तरदायी नहीं होंगे। वृक्षों के योग्य व अयोग्य हरे व सूखे के विवरण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उनमें भूल या अशुद्धि सम्भव है। इस बात का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि पेड़ गिराने के लिए सुगम स्थान पर ही स्थित हैं। उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकृत प्रतिनिधियों का यह दायित्व होगा कि वे स्वयं मौके पर जाकर लौट का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। स्थानीय रेंज आफिसर एवं उनके अधीनस्थ लौट से संबंधित कार्मिक इसमें उनकी यथासंभव सहायता करेंगे। लौटों के छपान में विसंगति पाये जाने पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम गलत छपे हुये वृक्षो का विवरण लिखित रूप से संबंधित राजि अधिकारी को प्रस्तुत करते हुये प्रभागीय वनाधिकारी को विक्रय सूचियां प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों की अवधि में सूचित करेंगे । लौटों में प्राप्त विसंगतियों का निराकरण निम्न श्रेणियों में अगले 30 दिनों के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जायगा जिसके उपरांत यह माना जायेगा कि वन विकास निगम की आपत्ति स्वीकार्य है। लौटों में प्राप्त विसंगतियों का निम्न श्रेणियों में निरीक्षण किया जायेगा।

(I) जमीन की सतह से 1.37 मीटर (4' 5'') की ऊंचाई पर 40 से0 मी0 व्यास से ऊपर के छपे हुये तथा कम संख्या वाले साल, चीड, पेंचदार, कैल, रई और मुरिन्डा के पेड़ों की दुबारा गणना कराने के लिये लौट के विक्रय मूल्य (प्रचलित रायल्टी दर के आधार पर) का दो प्रतिशत बन्धक धन जो किसी भी दशा में रूपया 500.00 (पाँच सौ) मात्र से कम न हो अपने आवेदन पत्र के साथ बन्धक धन जमा करना पड़ेगा । यदि इस गिनती में एक प्रतिशत से अधिक कमी निकलेगी तो प्रभागीय वनाधिकारी उक्त कमी के अनुरूप लौट की देय रायल्टी पुनिरीक्षित करेंगे तथा बन्धक धनराशि को वापस करेंगे अगर कमी एक प्रतिशत या उसे कम निकली तो बन्धक धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(II) छाती की उंचाई के बराबर 40 से0 मी0 से कम व्यास के चीड, देवदार, कैल, रई, मुरिन्डा और साल के कम संख्या वाले वृक्ष जो योग्य छापे गये है, फिर से गिनती कराने के लिये क्रेता को अपने आवेदन पत्र के साथ विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत या कम से कम रूपया 1000.00 (एक हजार) मात्र बन्धक धन

के रूप में जमा करने पड़ेंगे। यदि गिनती में दो प्रतिशत से अधिक कमी निकली तो प्रभागीय वनाधिकारी उक्त कमी के अनुरूप लॉट की देय रायल्टी पुनिरीक्षित करेंगे तथा बन्धक धनराशि को वापस करेंगे । अगर कमी द प्रतिशत या उसे कम निकली तो बन्धक धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(III) उपरोक्त (I) एवं (II) में वर्णित वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्ष जो छाती की उंचाई (1.37 मीटर) के बराबर 40 से0 मी0 से ऊपर के व्यास के हों और जो योग्य छापे गये हों उनकी दुबारा गिनती के लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम को अपने आवेदन पत्र के साथ रूपया 1000.00 (एक हजार) मात्र बन्धक, धन के रूप में जमा करने पड़ेंगे। इस गिनती में पांच प्रतिशत से अधिक कमी निकलेगी तो विकय मूल्य का कोई हिस्सा वापस नहीं मिलेगा और बन्धक धन भी जब्त हो जायेगा अन्यथा प्रभागीय वन अधिकारी लॉट की विक्रय सूची को तदनुसार पुनरीक्षित करेंगे।

टिप्पणी – यदि किसी लॉट में बिकी सूची में दर्शाये गये वृक्षों से अधिक वृक्ष छपे हुए पाये गये तो ये अधिक वृक्ष वन विभाग की सम्पत्ति होगी। उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उन पर कोई अधिकार (क्लेम) नहीं होगा। यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम ऐसे वृक्षों को काटेगा तो यह नियमों के अन्तर्गत ऐसे अधिक वृक्षों की कीमत निर्धारित रॉयल्टी दर पर भुगतान करेगा। यदि प्रभागीय वनाधिकारी उचित समझे तो वे संबंधित वन संरक्षक से अनुमति प्राप्त कर ऐसे लौटों के छपान का पुनरीक्षण कर सकेंगे।

7. लौटों में कार्य आरम्भ किया जाना :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी से कार्य करने की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त उत्तराखण्ड वन विकास निगम वन लौटों में कार्य आरम्भ करने की कार्यवाही करेगा संबंधित राजि में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा राजि अधिकारी को लौट में कार्यरत कार्मिकों एवं कार्य करने वाले श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की जायेगी।

2. लौटों के काम शुरू करने से पूर्व विभिन्न लौटों की सीमा संबंधित राजि अधिकारी या उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अभिकर्ताओं को दिखायी जायेगी और सीमा का लिखित विवरण वे अपने हस्ताक्षर से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को अभिकर्ताओं को देंगे। जिसमें अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर होंगे अभिकर्ताओं सीमा व रजिस्टर व मानचित्र पर हस्ताक्षर करेंगे। उत्तराखण्ड वन विकास को लौट का मानचित्र रूपया 50.0 (पचास) मात्र प्रति मानचित्र की दर से मांगने पर दिया जायेगा।

8. लौटों की प्राप्ति स्वीकार की जानी :– उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा पंजीकृत कराये गये प्रतिनिधि द्वारा लौट की सीमा का निरीक्षण किये जाने के उपरान्त लॉट की प्रति स्वरूप राजि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध सीमा पंजिका पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

9. लौटों के अधिग्रहण के उपरांत उत्तरदायित्व :–

(क) उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा राजि अधिकारी कार्यालय में रखी गई " सीमा पंजिका " में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि के उपरांत समस्त लौट का उत्तरदायित्व उत्तराखण्ड वन विकास निगम का होगा।

(ख) लौट मे विदोहन कार्य समाप्त हो जाने पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम का अधिकृत प्रतिनिधि राजि अधिकारी के पास कार्य समाप्ति की लिखित सूचना प्रस्तुत करते हुये निर्धारित प्रारूप में त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा एवं उसकी प्रति प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित करेगा और जब तक उक्त सूचना के साथ प्रेषित त्याग पत्र को प्रभागीय वनाधिकारी नीचे दिये गये पैरा 10 एवं 11 द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत स्वीकृति न कर ले उस लौट में हर प्रकार की क्षति का उत्तरदायित्व उत्तराखण्ड वन विकास निगम का होगा।

10 लौटों का त्याग पत्र दिया जाना :—लौट में कार्य समाप्त हो जाने पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम का अधिकृत प्रतिनिधि संबंधित राजि अधिकारी के पास कार्य समाप्ति की लिखित सूचना (त्याग पत्र) पंजीकृत डाक अथवा हाथ से द्वारा प्रस्तुत करेगा तथा उसकी एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी को भी प्रस्तुत करेगा। त्याग पत्र की स्वीकृति तथा अस्वीकृति की सूचना प्रभागीय वनाधिकारी लिखित रूप से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को राजि अधिकारी के कार्यालय में त्याग पत्र प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समयावधि के अदर देंगे। त्याग पत्र देते समय उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रभागीय वनाधिकारी के पास निम्नलिखित विवरण सम्मिलित करते हुये सूचना प्रस्तुत करेगा।

(क) भिन्न– भिन्न प्रकार की वन उपज का विवरण जिसका उत्पादन एवं निकासी की गयी ।

(ख) उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा लौट मे नियमानुसार पातित अतिरिक्त वृक्षों का विवरण ।

(ग) लौट में कार्य आरम्भ करने की तिथि एवं कार्य समाप्ति की तिथि।

11. त्यागपत्र का स्वीकृत किया जाना :—

(क) चीड, साल, शीशम, खैर आदि प्रजातियों के लौटों के त्यागपत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अदंर प्रभागीय वनाधिकारी लौट का निरीक्षण करवाकर त्याग पत्र को लिखित रूप से स्वीकार कर लेंगे। यदि लिखित सूचना जारी नही की जाती है तो लौट का त्यागपत्र स्वतः स्वीकृत माना जायेगा। यदि इस अवधि के अदर वन विभाग द्वारा लौट मे किसी प्रकार की विसंगति की सूचना उत्तराखण्ड वन विकास निगम को नही दी जाती है तो इस अवधि के समाप्त हो जाने के बाद उत्तराखण्ड वन विकास निगम को संबंधित लौट के संबंध में उत्तरदायित्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

(ख) फर, स्प्रूस तथा देवदार के लौटों मे जिनके कार्य की अवधि 31 दिसम्बर होती है यदि उनका त्यागपत्र माह दिसम्बर के अंत तक वन विभाग को प्रस्तुत कर दिया जाये तो प्रभागीय वनाधिकारी 45 दिन की अवधि के अदंर लौट का निरीक्षण कराकर त्यागपत्र को स्वीकार करेंगे अथवा किसी विसंगति के पाये जाने पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम के साथ संयुक्त निरीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यदि लौट का कार्य समाप्ति पत्र (त्यागपत्र) उत्तराखण्ड वन विकास निगम से राजि अधिकारी को माह दिसम्बर के बाद प्राप्त होता है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा लौट का निरीक्षण 180 दिन [illegible] अंतिम सप्ताह तक कराया जायेगा, यदि इस अवधि में लौट में किसी विसंगति के संबंध में वन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को अवगत नही कराया जाता है तथा 15 मई तक त्याग पत्र स्वीकार करने की सूचना जारी नही की जाती है तो लौट का त्यागपत्र स्वतः स्वीकृत माना जायेगा एवं लौट के संबंध में उत्तराखण्ड वन विकास निगम का दायित्व समाप्त समझा जायेगा। लौट के निरीक्षण के समय उत्तराखण्ड वन विकास निगम को अपना स्वीकृत कार्मिक उपस्थित रखना पडेगा। लौट के निरीक्षण के संबंध में पाये गये तथ्यों पर उनके

द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे एवं उन तथ्यों के आधार पर वन विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

12. कटान के नियम
उत्तराखण्ड वन विकास निगम केवल छपे हुये वृक्षों का ही पातन करेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का पातन एवं रूपान्तरण कार्य शीर्ष की ओर से ही आरम्भ किया जायेगा। पातन एवं रूपान्तरण के विषय में निम्न नियमों का भी पालन किया जायेगा :–

(क) पर्वतीय क्षेत्रों में लौटो में वृक्षों का पातन शीर्ष की ओर से आरम्भ कर तलहटी की ओर किया जायेगा। वृक्षों का गिरान यथासंभव ऊपरी ढलान की ओर किया जायेगा।

(ख) वृक्ष इस प्रकार गिराए जायं कि वृक्ष पर अंकित घन का चिन्ह किसी प्रकार न कटने पावें और किसी भी अवस्था में ठूँठ पृथ्वी तल से 15 सें0 मी0 से अधिक ऊँचे न छोड़े जावें।

(ग) पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का पातन पहाड़ी के शीर्ष की ओर से किया जाये। वृक्ष के सीने की ऊँचाई पर लगाये गये वन विभाग के छपान घन द्वारा इंगित दिशा में ही वृक्ष गिराये जाये। यदि उक्त प्रकार से वृक्ष का गिराया जाना संभव न हो तो वृक्ष के Contour के समानान्तर गिरान किया जाये।

(घ) वृक्ष के गिरान की दिशा इस प्रकार निर्धारित की जाये जिससे नयी पौध व अन्य वृक्षों को न्यूनतम क्षति पहुँचे।

13. छपे पेडो को गिराने की जिम्मेदारी :– समस्त वृक्षों चाहे योग्य हों या अयोग्य जो गिराने लिये छापे गये हैं उत्तराखण्ड वन विकास निगम को गिराने होंगे जब तक प्रभागीय वनाधिकारी की लिखित आज्ञा इसके विपरीत न हो।

(क) यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम या उसके कार्यकर्ताओं द्वारा पेड़ गिराने से भवनों मॉर्गो नहरों तथा कृषि को कोई क्षति पहुँचे तथा यदि कोई हानि पथिकों, पशुओं व ग्रामीणों को पेड, गिराने, गेली, लुढ़काने से पहुंचे हो तो उसके लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम उत्तरदायी होगा।

(ख) क्षेत्र की सड़कों, टेलीफोन तथा बिजली की लाइनों को उत्तराखण्ड वन विकास निगम यथा संभव किसी प्रकार का नुकसान नही पहुचायेगा यदि प्रयत्न करने पर भी ऐसा कोई क्षति हो जाय तो उत्तराखण्ड वन विकास निगम का यह कर्तव्य होगा कि वह सडक, टलीफोन तथा बिजली की लाइनों को तुरंत दुरूस्त कराये जिससे आवागमन में कोई बाधा न पड़े ऐसा न करने पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा और संबंधित विभाग लाइन को ठीक कराने का व्यय मय जुर्माना के उत्तराखण्ड वन विकास निगम से वसूल कर सकता है।

(ग) यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर्वतीय क्षेत्र में लौटों से लकड़ी को लट्ठों के रूप में निकालना चाहता है तो उसके लिये अनिवार्य होगा कि वह लट्ठों को यांत्रिक साधनों से जैसा कि स्काईलाइनक्रेन से निकाले नालों व अर्न्तगुच्र में लॉग स्लाइड द्वारा जिसका सही ढंग से रेखांकन किया गया हो और प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुमोदन किया गया हो लट्ठों को निकाला जा सकता है, अथवा नहीं।

(घ) जिन लौटों की सीमायें सार्वजनिक मार्गो से मिलती है अथवा जिन लौटों के माध्यम से सार्वजनिक मार्ग गुजरते हैं, उन लौटो में सार्वजनिक मार्गों पर पथिकों को सावधानी हेतु निम्न नोटिस लॉट की सीमा पर किसी प्रमुख स्थान पर लगाना होगा।

द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगे एवं उन तथ्यों के आधार पर वन विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

12. **कटान के नियम**

उत्तराखण्ड वन विकास निगम केवल छपे हुये वृक्षों का ही पातन करेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का पातन एवं रूपान्तरण कार्य शीर्ष की ओर से ही आरम्भ किया जायेगा। पातन एवं रूपान्तरण के विषय में निम्न नियमों का भी पालन किया जायेगा :–

(क) पर्वतीय क्षेत्रों में लौटों में वृक्षों का पातन शीर्ष की ओर से आरम्भ कर तलहटी की ओर किया जायेगा। वृक्षो का गिरान यथासंभव ऊपरी ढलान की ओर किया जायेगा।

(ख) वृक्ष इस प्रकार गिराए जायं कि वृक्ष पर अंकित घन का चिन्ह किसी प्रकार न कटने पावे और किसी भी अवस्था में ठूंठ पृथ्वी तल से 15 से0 मी0 से अधिक ऊँचे न छोड़े जावें।

(ग) पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का पातन पहाड़ी के शीर्ष की ओर से किया जाये। वृक्ष के सीने की ऊँचाई पर लगाये गये वन विभाग के छपान घन द्वारा इंगित दिशा में ही वृक्ष गिराये जाये। यदि उक्त प्रकार से वृक्ष का गिराया जाना संभव न हो तो वृक्ष के Contour के समानान्तर गिरान किया जाये।

(घ) वृक्ष के गिरान की दिशा इस प्रकार निर्धारित की जाये जिससे नयी पौध व अन्य वृक्षों को न्यूनतम क्षति पहुँचे।

13. छपे पेड़ो को गिराने की जिम्मेदारी :– समस्त वृक्षों चाहे योग्य हों या अयोग्य जो गिराने लिये छापे गये हैं उत्तराखण्ड वन विकास निगम को गिराने होंगे जब तक प्रभागीय वनाधिकारी की लिखित आज्ञा इसके विपरीत न हो।

(क) यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम या उसके कार्यकर्ताओं द्वारा पेड़ गिराने से भवनों मॉर्गो नहरों तथा कृषि को कोई क्षति पहुँचे तथा यदि कोई हानि पथिकों, पशुओं व ग्रामीणों को पेड, गिरान, गेली, लुढ़काने से पहुंची हो तो उसके लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम उत्तरदायी होगा।

(ख) क्षेत्र की सड़कों, टेलीफोन तथा बिजली की लाइनों को उत्तराखण्ड वन विकास निगम यथा संभव किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुचायेगा। यदि प्रयत्न करने पर भी ऐसा कोई क्षति हो जाय तो उत्तराखण्ड वन विकास निगम का यह कर्तव्य होगा कि वह सड़क, टेलीफोन तथा बिजली की लाइनों को तुरंत दुरूस्त कराये जिससे आवागमन में कोई बाधा न पड़े ऐसा न करने पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा और संबंधित विभाग लाइन को ठीक कराने का व्यय मय जुर्माना के उत्तराखण्ड वन विकास निगम से वसूल कर सकता है।

(ग) यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर्वतीय क्षेत्र में लौटों से लकड़ी को लट्ठों के रूप में निकालना चाहता है तो उसके लिये अनिवार्य होगा कि वह लट्ठों को यांत्रिक साधनों से जैसा कि स्काईलाइनक्रेन से निकाले नालों व अर्न्तमुख में लॉग स्लाइड द्वारा जिसका सही ढंग से रेखांकन किया गया हो और प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुमोदन किया गया हो लट्ठों को निकाला जा सकता है, अथवा नही।

(घ) जिन लौटों की सीमायें सार्वजनिक मार्गो से मिलती है अथवा जिन लौटों के माध्यम से सार्वजनिक मार्ग गुजरते हैं, उन लौटों में सार्वजनिक मार्ग पर पथिकों को सावधानी हेतु निम्न नोटिस लौट की सीमा पर किसी प्रमुख स्थान पर लगाना होगा।

तथा क्षतिपूर्ति वसूल होने के बाद ही अवैध काटा गया प्रकाष्ठ उत्तराखण्ड वन विकास निगम को दिया जायेगा।

(5) अवैध कटे हुये वृक्ष चाहे हरे या सूखे हो उनको ठोस व हरा मानकर ही मूल्य व क्षतिपूर्ति वसूल की जायेगी। सूखे, फिट या अनफिट छपे वृक्ष के लिए किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(6) अवैध पातन से वृक्षों के मूल्य व क्षतिपूर्ति निर्धारित की कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा की जायेगी। लेकिन जहाँ सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वह नियमानुसार ली जायेगी।

(ख) क्षतिग्रस्त वृक्षः यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम की असावधानी से गिरान करने के फलस्वरूप यदि किसी के बिना छपे हुये वृक्षों की क्षति पहुंचे तो एसे क्षतिग्रस्त वृक्षों को हटाने के लिये उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रभागीय वनाधिकारी को उसकी सूचना देते हुए आवेदन करेगा। क्षतिग्रस्त बिना छपे पेड़ों का चिरान व निकासी बिना प्रभागीय वनाधिकारी की आज्ञा से नही किया जायेगा। ऐसे वृक्षों को मूल्य रॉयल्टी दर या अनुसूचित दर जो भी अधिक हो लगाया जायेगा साथ ही अधिकतम 5000/ रू0 की सीमा तक प्रति वृक्ष दण्ड भी देना होगा।

(1) साधारणतया उन क्षतिग्रस्त वृक्षों के लिए कोई अर्थदण्ड नहीं लगेगा जो उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा सावधानी से छपे पेड़ों को गिराने पर क्षतिग्रस्त हो जायें।

टिप्पणी :– किसी क्षति के लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम को दोषी ठहराया जाय या नहीं इस बात का निर्णय करने के लिये संबंधित राजि अधिकारी उस पेड़ को कुल्हाड़ी या आरे की काट ठूंठ पर देखेंगे अगर कटान का ढाल उसी ओर है, जिधर पेड़ नहीं गिरना चाहिए था तो उत्तराखण्ड वन विकास निगम को क्षति का उत्तरदायी समझा जायेगी।

19. वनोपज का रूपान्तरण एवं सम्पति चिन्हों का अभिरूपण :

उत्तराखण्ड वन विकास निगम वृक्षों का पातन इस प्रकार करेगा जिससे वृक्षों के ठूंठ फटने न पायें एवं उनका मुछान/ रूपान्तरण कर सम्पत्ति घन का अंकन करेगा एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पंजीकृत सम्पत्ति चिन्ह का खुदान भी करेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ चिरान की प्रकिया में उत्पन्न प्रकाष्ठ के छिलकों की सफाई इस प्रकार करेगा जिससे वन अग्नि की सम्भावना न रहे।

20. बटियों की रोक व चट्टाबंदी

उत्तराखण्ड वन विकास निगम सड़क बटियों तथा आग लाइनों पर गिरान व चिरान के कारण रूकावट उत्पन्न नहीं करेगा । प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक द्वारा लॉट की सीमा के बाहर प्रकाष्ठ की चट्टाबंदी किये जाने वाले स्थलों का विवरण प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि प्रभागीय वनाधिकारी को इंगित स्थलों पर प्रकाष्ठ की चट्टाबंदी करने पर किसी प्रकार की आपत्ति होती है तो वे अन्य सुलभ स्थलों पर प्रकाष्ठ के भण्डारण /चट्टाबंदी की अनुमति प्रदान करेंगे।

21. आग से बचाव

(क) प्रकाष्ठ, ईंधन और घास के लौटों के सबंध मे सावधान किया जाता है कि उन क्षेत्रों को जिनमें नियंत्रित फुंकान आवश्यक है या जो अग्नि रक्षित नहीं हैं, विभाग द्वारा किसी भी समय जलाया जा सकता है। किन्तु जहॉ तक सम्भव हो सके स्थानीय राजि अधिकारी उत्तराखण्ड वन विकास निगम को सूचित कर देंगे कि इन वन क्षेत्रों को सूचित की गयी तिथियों को जलायेंगे। लेकिन वन विभाग इस प्रकार की अथवा आकस्मिक आग से किसी भी क्षति का उत्तरदायी नही होगा।

छिलका फुकान

22. उत्तराखण्ड वन विकास निगम को चिरान के उपरांत अपने प्रकाष्ठ से चिरान –कटान के मलवे को दूर हटा कर अलग कर देना चाहिए, ताकि वन विभाग को मलवा सफाई व छिलका फुकान कार्य में बाधा न पड़े। ऐसा न करने पर उत्तराखण्ड वन विकास निगक को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड देना होगा।

आग से नुकसान की जिम्मेदारी

23. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रतिनिधियों व मजदूरों का यह कर्तव्य होगा कि वे अग्नि की सुरक्षा के नियमों तथा इस संबंध में वन विभाग द्वारा प्रसारित आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करें। यदि जंगल में आग लगने पर यह सिद्व हो गया कि उत्तराखण्ड वन-विकास निगम के कार्यकर्ताओं या मजदूरों द्वारा या उसकी असावधानी से आग लगी है तो उत्तराखण्ड वन विकास निगम की हानि का उत्तरदायी समझा जायेगा।

थल मार्ग द्वारा वन उपज की निकासी के नियम

24. (क) लौट की सीमा से निकलने से प्रत्येक प्रकाष्ठ पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम का पंजीकृत संपति चिन्ह् तथा ठूंठ लेखक का घन जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त लौट संख्या भी खड़िया से लिख देनी चाहिए। प्रकाष्ठ का प्रत्येक टुकड़ा जिस पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम का सम्पत्ति चिन्ह् ठूंठ लेखन का घन या लौट संख्या नहीं होगी, निकासी या चैक चौकी पर रोक लिया जायेगा और जब तक प्रभागीय वनाधिकारी उसके विषय में कोई अन्य निर्णय न दें, ऐसे प्रत्येक टुकडे को अवैध मानते हुये जब्त कर लिया जायेगा।

(ख) शकुधारी लौटों देवदार, कैल, एवं फर/ स्प्रूस के स्लीपरों/ लट्ठों में कमशः +, - , एवं F को स्लीपरों के सिरों पर जो उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रभाग का सम्पत्ति मार्क का खुदान चिन्ह् लगाया जाता है उसी के नीचे लगाया जाना होगा। यह चिन्ह् चिरान के समय लगाये जायेंगे । कोई प्रकाष्ठ जिस पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम का पंजीकृत घन चिन्ह् न हो लौट की सीमा के बाहर निकासी नहीं किया जायेगा।

(ग) वन उपज की निकासी केवल उन्ही मार्गो से की जायेगी जो प्रभागीय वन अधिकारी निर्धारित करेगे तथा उन्हें रवन्ने पर अंकित करना होगा। जब तक प्रभागीय वन अधिकारी लिखित आज्ञा ना दे कोई दूसरा मार्ग नही बनाया जायेगा प्रभागीय वनाधिकारी की लिखित आज्ञा के बिना वन विभाग के मोटर मार्गो का निकासी या अन्य किसी कार्य के लिये, उत्तराखण्ड वन विकास निगम उपयोग नहीं कर सकता। इनके उपयोग के लिये उसे सम्बधित प्रभागीय वनाधिकारी को आवेदन पत्र देना पड़ेगा और वह उसके उपयोग की अनुमति उस समय प्रचलित दरो मार्ग रख–रखाव शुल्क लेकर दे सकते है। मोटर मार्ग के उपयोग कि यह अनुमति प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा बनाये गये नियमो के अधीन होगी और उनके उल्लंघन कि प्रत्येक धटना पर रू0 1000/– तक दण्ड हो सकता है।

(घ)सभी लौटों में गोली, लटटे, ईधन व लकडी का लुढ़कान वर्जित है।

(ड) वन उपज की निकासी हेतु प्रमुख वन मोटर मार्गो की मरम्मत संबधित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा समय से करायी जायेगी अन्यथा की स्थिति में प्रभागीय वनाधिकारी की अनुमति के पश्चात वन विकास निगम द्वारा भी मरम्मत करायी जायेगी।

25 कार्य की अवधि

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त वन वृत्तों में वन विभाग द्वारा सामान्य रूप से आवंटित किए गए

1. यूकेलिप्टस एंव पॉपलर प्रजाति के जड खुदान की लौटों में जंगल में कटान करने की अवधि 31 मार्च तथा निकासी करने कि अवधि 31 अप्रैल तक होगी। यूकेलिप्टस प्रजाति की कौपिस की लौटों में कटान की अवधि 28 फरवरी व निकासी की अवधि 31 मार्च होगी।
2. साल, कोकाट आदि के लौटो में जंगल में काम करने की अवधि 31 मार्च तथा निकासी करने की अवधि 30 अप्रैल तक होगी।
3. चीड के लौट जो तार ढुलान व पानी बहान के माध्यम से विदोहित नही किये जायेगे, उनमें जंगल में काम करने कि अवधि 15 अप्रैल, निकासी करने कि अवधि 30 जून तक होगी।
4. चीड के लौट जो तार ढुलान व पानी बहान के माध्यम से विदोहित किये जायेगें, उनमे जंगल में कान कान करने कि अवधि अगले वर्ष 31 दिसम्बर तथा निकासी करने कि अवधि तीसरे वर्ष 31 मार्च तक होगी।
5. देवदार,कैल फर आदि के लौटों मे जंगल में काम करने कि अवधि अगले वर्ष, 31 दिसम्बर तक होगी एंव निकासी करने कि अवधि तीसरे वर्ष 31 जून तक होगी।
6. उपरोक्त बिन्दु, 1,2,3,4 व 5 मे दर्शित, अवधियों में उत्तराचल वन विकास निगम को उत्पादित वन उपज को लौट की सीमा से बाहर निकालना आवश्यक होगा।
7. उत्तराखण्ड वन विकास निगम लौट की सीमा से बाहर उत्पादित प्रकाष्ठ के मार्गस्थ डिपुओं में भण्डारित किये जाने की सूचना प्रभागीय वनाधिकारी को यथासमय प्रस्तुत करेगे, एव भण्डारित प्रकाष्ठ के संगत अभिलेख तैयार करेगे जिन्हें किसी भी समय निरीक्षित किया जा सके। मार्गस्थ डिपुओं हेतु वन भूमि निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।

26- उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित लौटों मे निर्धारित कार्यकाल में काम पूरा न होने कि दशा में निम्नलिखित नीति अपनाई जायेगी :-

क) उत्तराखण्ड वन विकास निगम मियाद बढाने हेतु आवेदन पत्र देगा जिसे विद्यमान नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किया जायेगा।
ख) जिस लौट में उत्तराखण्ड वन विकास निगम आवंटन वर्ष में कार्य प्रारम्भ नहीं करता उसमें उस वर्ष की रायल्टी की दर लागू होगी जिस वर्ष मे निगम उसमें कार्य करेगा।
ग) जिस लौट में अधूरा काम हो उस लौट में निगम द्वारा अगले वर्ष मियाद के लिए शुल्क (एक्सटेंशन फीस) की दर से देय होगा। ये दरे निम्नवत होगें।
(i) माह मई एवं जून में प्रति 25 है0 क्षेत्र हेतु एक अग्नि रक्षक का वेतन चालू दरों पर सम्बंधित वन प्रभाग को दिया जायेगा।
(ii) माह जुलाई से सितम्बर तक लौट में कोई कार्य नहीं जायेगा एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विकास निगम की होगी।
(iii) माह अक्टूबर से प्रतिदिन न्यूनतम 200 रू0 की दर शुल्क देय होगा। उपलब्ध माल की मात्रा हेतु प्रभागीय वनाधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

27- उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा मुद्रित निकासी खन्ना पुस्तकों को रेंज कार्यालय में पंजीकरण करवा कर प्रयोग में लाने की अनुमति होगी। यह कार्य पुस्तक जमा करने के तीन दिनों के अंदर होगा ।

28- उत्तराखण्ड वन विकास निगम विद्यमान नियमों के अन्तर्गत रोड फीस इत्यादि को भुगतान करेगा।

29- उत्तराखण्ड वन विकास निगम उसके द्वारा स्थापित प्रत्येक विक्रय डिपो का वार्षिक लीज किराया वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर देगा व विक्रय डिपो के रख रखाव में वहा से निकासी इत्यादि में सभी नियमों का पालन करेगा जो लागू हों।

30 साधारणतया नियमों का अनुपालन न कराने व भुगतान में विलम्ब के कारण उत्तरांचल वन विकास निगम के लौटों से निकासी पर रोक नही लगाई जायेगी और न हीं ऐसी कोई रोक निकासी की गई वनोपज के विक्रय पर लगाई जायेगी। यदि निगम की ओर से किसी नियम या शर्त का गंभीर उल्लंघन किया जाये तो वह तुरन्त ही सभी अधिकारियों को सूचित किया जायेगा।

31. रायल्टी भुगतान

1. उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा देय रायल्टी का निर्धारण उ० प्र० के शासनादेश संख्या 110127/14.1.75 दिनांक 18 फरवरी ,1976 तथा शासन के अर्ध शासकीय पत्र सं० 10758/14–1–1977, दिनांक 26 सितम्बर, 1977 के अनुसार किया जायेगा।
2. शंकुधारी प्रजातियों के लौटों के अलावा अन्य प्रजातियों के लौट के लिए निगम के लिए किश्त की तिथि निम्न प्रकार निर्धारीत की जायेगी।
   क) लौट के मूल्य का एक तिहाई– मार्च 1 की लौट के वर्ष में।
   ख) लौट के मूल्य का दूसरा तिहाई– जून 1 की लौट के वर्ष में।
   ग) लौट के मूल्य का बकाया – सितम्बर 1 की लौट के वर्ष में।

3. शंकुधारी प्रजातियों के लिए शर्तें निम्न प्रकार होंगी:–
   क) चीड़ की लौटों के लिए –
   1) जो लौट जुलाई में आवंटित किये जाते हैं।
   अ) यदि निकासी सड़क द्वारा की जाय तो उनकी किस्तों की तिथियां उपरोक्त नियम 31.2 के अनुसार होगी।
   ब) यदि निकासी बहान द्वारा की जाय तो भुगतान की अंतिम तिथि लगभग सत्रह मास बाद तीसरे वर्ष की पहली मार्च को होगी।

उदाहरण के लिए जुलाई 2006 में आवंटित चीड़ के लौटो के लिए अंतिम तिथि 1 मार्च होगी। यदि कोई चीड़ लौट माह के बाद असमय आवंटित किया जाय तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त आधार को ध्यान मे रखते हुए किश्त कि तिथि निर्धारित कि जायेगी।

ख) देवदार, कैल व फर लौटो के लिए–
दिसम्बर –जनवरी में आवंटित किये जाने वाले लौटों के लिए –
अ) जिन लौटों कि निकासी सड़क द्वारा की जायेगी।
1) एक तिहाई अगली सितम्बर की पहली तारीख।
2) दूसरा तिहाई अगली पहली जून।
3) तीसरी किश्त अगली पहली दिसम्बर।

उदाहरण के लिए दिसम्बर 2006, जनवरी 2007 में आवंटित लौटो की किश्त उपरोक्त आधार पर निम्न प्रकार होगी।

पहली किश्त 1 सितम्बर 2007
दूसरी किश्त 1 जून 2008
तीसरी किश्त 1 दिसम्बर 2008

ब) यदि निकासी बहान द्वारा की जाय तो भुगतान की अंतिम तिथि लगभग 26 महिने बाद पहली अप्रैल की तीसरी वर्ष में होगी।
उदाहरण के लिए दिसम्बर 2006, जनवरी 2007 में आवंटित लौटो की किश्त उपरोक्त आधार पर निम्न 1 अप्रैल 2009 होगी।

10-1

यदि कोई लौट दिसम्बर/जनवरी के बाद असमय आवंटित किया जाय तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त आधार को ध्यान में रखते हुए किश्तों की तिथियां तय की जायेगी।

32 रायल्टी निर्धारित नीति में यदि संशोधन की आवश्यकता हुई तो निम्न गठित समिति अपनी संस्तुति प्रमुख वन संरक्षक, शासन को प्रस्तुत करेगी:-

क) मुख्य वन संरक्षक प्रबंध /अपर मुख्य वन संरक्षक प्रबंध ।

ख) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रतिनिधि

ग) सम्बन्धित वन संरक्षक।

घ) वित्त नियंत्रक, वन विभाग

किश्तों के न देने पर दण्ड

33. (1) रायल्टी के निर्धारित तिथियों से 15 (पन्द्रह) पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी से सन्दन्धित प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक को रायल्टी की देय किश्तों के चालन उपलब्ध करायेगें।

(2) यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम विक्रय मूल्य की किश्तों का धन या उसका कोई भाग प्रतिबन्ध 32 में वर्णित किश्त देने की अंतिम तिथि के अन्दर न दे सके तो किश्त की बाकी धनराशि पर निम्न दर पर विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

क) निश्चित तिथि से 30 दिन का अतिरिक्त समय किश्तों का धन जमा करने के लिया दिया जायेगा, जिस पर कोई विलम्ब शुल्क नहीं लिया जायेगा।

ख) विलम्ब शुल्क दस पैसे प्रति सैकड़ा रूपये प्रतिदिन की दर से देना होगा, यदि किश्त का भुगतान 30 दिन के अतिरिक्त समय बाद या 60 दिन से पहले किया हो। ऐसी दशा में विलम्ब शुल्क पूरे समय के लिया जायेगा, जिसमें अतिरिक्त समय भी सम्मिलित होगा।

ग) यदि किश्त का भुगतान उसके लिये निश्चित तिथि से 60 दिन के बाद हुआ है तो विलम्ब शुल्क 20 पैसा प्रति सैकड़ा रूपये प्रतिदिन की दर से किश्त भुगतान को निश्चित तिथि से लिया जायेगा।

गोदाम, नाली, रज्जूपथ तथा निकासी मोटर मार्गो सम्बन्धी नियम

34 क) जहां कहीं कुकाट के पेड़ वन विभाग के नियमों के अनुसार मिल सकते हो उत्तराखण्ड वन विकास निगम को गोदाम बनाने के लिए बाजार भाव या प्रभाग की निर्धारित दर पर जैसा प्रभागीय वनाधिकारी निर्णय करें, दिये जायेंगें। कुकाट में अखरोट, पापड़ी, बान, दुरांस, खरसू व अन्य ओक, अंगू, बर्च, दरली, मेपल, जमनोई, पदन, कुनीस, पांगर, इमनोई, पहाड़ी पीपल व चमखड़िक शामिल नही हैं।

ख) उत्तराखण्ड वन विकास निगम पहले अपने लौट से ही नाली के लिए वृक्षों का उपयोग करेगा। यदि उसके लौट में नाली बनाने के लिए बल्लियां उपलब्ध न हुई तो नाली के लिए साधारणतया कुकाट तथा केवल एक मीटर गोलाई से कम चीड़, रई मुरिन्डा की बल्लियां जो सिल्वीकल्चर के अनुसार उनका मूल्य प्रभाग की निर्धारित दर या लौट के औसत मूल्य, जो भी अधिक हो के अनुसार लिया जायेगा।

ग) जिन लौटों मे रज्जूपथ बनाना हो, उसमें रज्जूपथ बनाये से पूर्व उसका रेखांकन (एलाइनमेंट) उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्रभागीय वनाधिकारी से जंचवाना पड़ेगा ताकि ऐसा रेखांकन ढूंढा जा सके, जिनमें वृक्षों का पातन न हो या कम से कम हो। रज्जूपथ रास्ते के एलाइमेंट में यदि किन्हीं पेड़ो का हटाना अनिवार्य हो तो प्रभागीय वनाधिकारी उत्तराखण्ड वन विकास निगम को ऐसे पेड़ काटने की आज्ञा दे सकते हैं। परन्तु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उक्त पेड़ो का मूल्य रायल्टी दर या वृक्ष के शिड्यूल दर से, जो भी अधिक हो देना होगा।

35 क) उत्तराखण्ड वन विकास निगम निकासी के लिए अपने द्वारा मुद्रित करायी गयी रवन्ना पुस्तकों का प्रयोग कर सकता है परन्तु रवन्ना पुस्तक राजि कार्यालय मे अनिवार्य रूप से पंजीकृत करानी होगी।

ख) उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा प्रस्तुत रवन्ना पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बन्धित राजि अधिकारी द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षर किये जायेगें। राजि अधिकारी एक बार न एक रवन्ना

पुस्तक हस्ताक्षरित करेंगें एवं पहली पुस्तक समाप्त हो जाने के पश्चात दूसरी पुस्तक हस्ताक्षर कर जारी करेंगें। प्रकाष्ठ की छोटी लाटों के लिये राजि अधिकारी आवंटित मात्रा के आधार पर एकमुश्त रवन्ने हस्तरक्षरित कर उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकृत प्रतिनिधि को देगें।
ग) लौट सीमा से निकलने से पूर्व प्रकाष्ठ/ईधन आदि का रवन्ना उत्तराखण्ड वन विकास निगम का अधिकृत ऐजेन्ट काटेगा और लौट का ठूंठ लेखक या वन रक्षक उस पर हस्ताक्षर करेगा। रवन्ने का एक प्रति पुस्तक में छोड़कर दो प्रतिया ट्रक चालक को दे दी जायेगी।
घ) यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभिन्न मार्गों से निकासी करना चाहता है तो उसे अलग–अलग मार्गो के लिए पंजीकरण कराना होगा।

36. निकासी की सुविधाजनक जांच के लिए आवश्यक है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम लौट में गाड़ियो को इस प्रकार भरावे कि आगे चलकर बिना प्रकाष्ठ उतारे जाच हो सके। साधारणतया ट्रक में दो लम्बाईयों से अधिक लम्बाईयों का प्रकाष्ठ नही भरना चाहिए लम्बा प्रकाष्ठ नीचे लादना चाहिए और छोटा उपर। विशेष परिस्थितयों में जैसे कार्य समाप्त होने के समय जब दो लम्बाईयो का ट्रक भरने की अनुमति दी जा सकती हैं परन्तु उनको इस प्रकार भरना चाहिए कि प्रत्येक लम्बाई का प्रकाष्ठ नापा जा सके यह ट्रक इस प्रकार भरा गया हो कि प्रकाष्ठ की जांच तथा नाप हो सकें तो निकासी या चैक मोहर्रिर ट्रक खाली कराकर प्रकाष्ठ की जांच करवा सकता है! यदि किसी ट्रक पर रवन्ना में लिखे प्रकाष्ठ से अधिक प्रकाष्ठ पाया जाय तो अधिक प्रकाष्ठ निकासी/चैंक चौकी पर तब तक रोक लिया जायेगा जब तक कि प्रभागीय वनाधिकारी इस अपराध पर निर्णय न दे दें।

37. क) चैक और निकासी चौकियो में प्रकाष्ठ की लम्बाई निकटतम डेसीमीटर मे होगी अर्थात आधे डेसीमीटर से कम लम्बाई छोड दी जायेगी।
ख) प्रकाष्ठ की चौड़ाई और मोटाई अथवा गोलाई निकटतम सेन्टीमीटर तक नापी जायेगी अर्थात आधे सेन्टीमीटर से छोटे भाग छोड़ दिये जायेगें।

38. बांस की निकासी तभी की जायेगी जब वे 5, 10,15 व 20 बांसो के गट्ठो में बँधे हों।

39. प्रत्येक लॉट के उत्तराखण्ड वन विकास निगम का अभिकर्ता या प्रतिनिधि स्थाई रूप से उस निकासी चौकी पर रहेगा जिससे उसके लौट की लकड़ी/बांस की निकासी होगी।

40. सूर्योदय से पूर्व से या सूर्यास्त के बाद किसी प्रकार की निकासी बिना प्रभागीय वनाधिकारी की लिखित आज्ञा के नही होगी। प्रत्येक ट्रक को सूर्यास्त से पूर्व प्रथम निकासी चौकी पर अपने ट्रक की प्रविष्टि करा लेनी चाहिए।

<u>जल मार्ग द्वारा वन उपज की निकासी के नियम</u>

41 समस्त प्रकाष्ठ जो वहान किया जायेगा पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम का पंजीकृत सम्पत्ति चिन्ह तथा उसके सिरों पर खुदान चिन्ह होना चाहिए।

42 उत्तराखण्ड वन विकास निगम सम्पूर्ण प्रकाष्ठ नदी बहान चन से छपने के उपरान्त ही अपना प्रकाष्ठ बहान के लिए नदी में डालेगा। नदी बहान अनुज्ञा में लट्ठो की संख्या, प्रकाष्ठ के टुकड़ो का विवरण, सम्पत्ति चिन्ह, गन्तव्य स्थान जिसके लिए अनुज्ञा जारी की गयी है और जहां लकड़ी निकाली जायेगी, दिखाया जायेगा।

43. घाल के काम आने वाले आदमियों की संख्या निम्नलिखित से कम न होगी।

1. छोटे नालों में प्रत्येक हजार पक्का स्लीपरों (365 X 25 X 13 सेमी.) पर छः आदमी काम करने वाले रखे जायेंगें।
2. बड़े नालो में प्रत्येक हजार पक्का स्लीपरों पर चार आदमी काम करने वाले रखे जायेंगे।
3. नदियों में काम करने वाले आदमियों की संख्या चीड़ के प्रत्येक हजार पक्का स्लीपरों पर दो तथा देवदार, कैल, रई, मुरिन्डा, के प्रत्येक हजार पक्का स्लीपरों पर एक बहानी से कम न होगी।

44 अपनी घाल को चोरी से बचाने के लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम को निम्नलिखित चौकीदार रखने चाहियें।

1. चीड़ घाल में प्रति हजार पक्का स्लीपरों पर तीन चौकीदार।
2. प्रति एक हजार पक्का स्लीपरों पर एक चौकीदार। [26]

45 बांस काटने में निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा:–

क) बांस कटान के किसी दल में श्रमिकों की संख्या 15 से 20 तक होगी।

ख) बांस के लौटों में कटान ढुलान के ऊपर से नीचे की ओर क्रमानुसार किया जायगा। एक बेड़ी में जो कटान करना हैं एक ही बार पूरा करना होगा। इस बेड़ी में दुबारा कटान करने के लिए आना वर्जित है।

ग) बांस कटान का कार्य 40–50 हे. क्षेत्रफल के इकाई बनाकर किया जायेगा यदि किसी लॉट का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से अधिक होगा तो वनाधिकारी की आज्ञानुसार उसे लगभग 40–50 हे की इकाई में बांटकर बांस कटान का काम करना होगा।

घ) साधारणतया उसी बरसात के कल्ले, एक सीजन पुराने, नही काटे जायेंगे पर जहां नये कल्ले, फन्जरथैड, बेड़ियों में मुड़–2 लिपटे हों वहां पुराने बांसो को कटान कराने के लिए यदि उनसे लिपटे हुए नये कल्ले का कटान अपरिहार्य हो तो ऐसी स्थिति में नये कल्ले स्थानीय राजि अधिकारी की लिखित अनुमति के पश्चात ही काटे जा सकते हैं।

ड़.) प्रत्येक बेड़ी में बाहर की जो अर्थात बेड़ी की परिधि पर कम से कम 5 पुराने बांस कल्ले के सहारे के लिए छोडे जायेंगें। यदि किसी बेड़ी में पुराने कल्ले 5 या 5 से कम हों तो उनमें से कोई बांस नही काटा जायेगा।

च) कटे बांस की ठूंठ की ऊँचाई जमीन की सतह से 15 से.मी. से कम और 30 से.मी. से अधिक नही होनी चाहिए और ठूंठ में कम से कम एक गांठ रहनी चाहिए। बांस काटने मे ठूंठ को काटना या चीरना नहीं चाहिए। बॉस को काटने या चीरने से बचाने के लिए केवल तेज धार का हथियार काम में लाना चाहिए। किसी बेड़ी से आधा कटा बांस नही छोड़ा जायेगा।

छ) कोई बेड़ी बिना कार्य किये इसलिए न छोड़ी जायेगी कि उनका बांस बिक्री के योग्य नहीं है। टेढे–मेढे पुराने बांसो की बेड़ी बढ़ोत्तरी में विघ्न डाल रहे हैं, अनिवार्य रुप से काटना होगा इसी प्रकार टूटे व ऊँचे बांस के ठूंठो को तेज धार से काटकर ठीक करना होगा।

ज) बांस का कल्ला बांस चारे के लिए न काटा जाय।

झ) बीजू बांस काटने की आज्ञा नहीं है। यदि कोई बीज वृक्ष कार्य की अवधि के अन्दर गिर जाय तो प्रभागीय वनाधिकारी की लिखित आज्ञा प्राप्त करने पर ही काटा जा सकता है।

ञ) जड़ खोदकर जड़ सहित बांस निकालने की आज्ञा नहीं होगी।

ट) बांस के लौटों में बांस कटान की अवधि किसी भी दशा में 31 मार्च से आगे नहीं बढाई जायेगी।

ठ) मेट श्रमिकों व अन्य कर्मचारियों को वनाधिकारी/फारेस्ट आफिसर के आदेशों का पालन करना होगा।

46 बांस संवर्धन व कटान कार्य

1. बांस कटान तथा संवर्धन कार्य संयुक्त रुप से नवम्बर से मार्च के बीच किये जाने चाहिए। निम्न मुख्य बातें ध्यान योग्य हैं।

क) कटान वर्ष के वर्षा काल में उदय नये वेणु सामान्यतः नही निकाले जायें, परन्तु जकड़ी बेड़ियों की सफाई हेतु कुछ ऐसे वेणु अपरिहार्यता की स्थिति में निकाले जा सकते हैं।

ख) दो वर्ष से अधिक आयु के अधिकांश वेणु निकाल दिये जाये, ताकि नये वेणुओं की वृद्धि में न्यूनतम अवरोध हो।

ग) बेड़ी को जकड़न कम करने के उद्देश्य से सूखे, वेणुओं को जड़ो से निकाले कोपिस कल्ला (जो नये वेणुओं से काफी पतले एवं छोटे होते हैं) तथा पिछले कटानो के अधिकट भागों, झाड़ी, मुण्डी आदि को भी हटा दिया जाना चाहिए।

घ) यदि छोड़े हुए वेणु अधिक झुके या टेढ़ होना अपरिहार्य हो जाय तो उन्हे लगभग 4 मी. ऊँचाई पर काट दिया जाय, जिससे वे बेड़ी में संकुचन उत्पन्न न करें।

ड.) अन्त में पूरी बेड़ी पर लगभग 10 से. मी. ऊँचाई तक एक चबूतरा सा बनाते हुए मिट्टी चढ़ा दी जाय, ताकि नये राइजामों की सम्यक वृद्धि के लिए समुचित सहारा और मिट्टी उपलब्ध रहे।

2. अगले वर्ष अगस्त माह में पातित क्षेत्रों का पुनः निरीक्षण करके अवरोधकारी कोपित कल्ले आदि हटा देने चाहियें।
3. यह निर्देश दिया जाना है कि बांस प्रबन्ध के सम्बन्ध में उपर्युक्त मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
4. यदि किसी कारणवस बांस का कोई कूप कार्य करने से किसी वर्ष छूट जाता हैं तो उसमें अगले वर्ष अवश्य कार्य किया जाये और तद्नुसार कूप संशोधित कर दिया जाये।

47 निःशेष पातन (Clear felling) के लौटः–
(i) लौट के क्षेत्र छपान किये गये सभी वृक्षों की 60 से.मी. गहराई से खोद कर गिराना होगा।

(ii) सम्बधित लौट में पुरानी मुण्डियों (ठुठ) को भी खोदकर निकालना अनिवार्य होगा। लौट की विक्रय सूची में इन मुण्डियों की संख्या का विवरण दिया जायेगा।

(iii) यदि निःशेष पातन की लौटों में कोई वृक्ष छोड़े जाने होंगे उनका विवरण लौट की विक्रय सूची में स्पष्ट रूप से दिया जायेगा व ऐसे वृक्षों को पेन्ट से घेरा अंकित होगा।

(iv) लौटों के अन्दर छापे गये सभी वृक्षो का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम को करना अनिवार्य होगा यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम नही करता है तो अवशेष पेड़ो पर वन विभाग का स्वामित्व हो जायेगा एवं ऐसे वृक्षों में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं की जायेगी।
(v) गिराये गये वृक्ष , मलवा, लट्ठा, सोख्ता सभी को लौट से बाहर निकाला जाना अनिवार्य होगा।

(vi) जिन स्थानों से जड़ खोदकर निकाली जायेगी वहाँ खड्डों को मिट्टी से भरना होगा एव खड्डे को जमीन की सतह से कम से कम 15 से0मी0 ऊपर भरा होना चाहिए।

(vii) बांस की बेडियो लौट मे हो जिनका विवरण एंव जड़ खुदान के निर्देश विक्रय सूची मे दिये गये हो उनको भी भूमि सतह से 60 से0मी0 नीचे से खोदकर निकालना होगा।

(viii) जो वृक्ष कोलतार का घेरा लगाकर एंव क्रमाक लिखकर ध्वज (Standard) छोड गये है, उनको वृक्षो के पातन से क्षति नही पहुचनी चाहिए एंव त्यागपत्र के समय ऐसे सभी वृक्षों का सत्यापन वन विभाग को करवाना होगा।

48. (क) यूकेलिप्टस के वापस के लौटों में वृक्षों का कटान जमीन की सतह से 10 से0 मी0 ऊपर से तिरछी ढलानदार काट देकर सावधानीपूर्वक करना होगा ताकि खूट फटने न पाये

(ख) निःशेष पातन– यूकेलिप्टस के निःशेष पातन की में नियम संख्या 47 पूर्णतया लागू होगा।
49. यदि उपरोक्त नियमों में कोई संशोधन या अतिरिक्त नियम जोड़ने की आवश्यकता हुई तो उपरोक्त शर्तो मे संशोधन वन विभाग व वन निगम के अधिकृत अधिकारियों की बैठक मे निर्णय के आधार पर होगा।

50. अन्य बिन्दु –
स्थानीय बिक्री – प्रभागीय वनाधिकारी की लिखित आज्ञा के बिना उत्तरांचल वन विकास निगम किसी प्रकार स्थानीय बिक्री नही करेगा। यदि किसी कारणवश उत्तराखण्ड वन

विक्री की जाती है तो इसकी सूचना प्रभागीय वनाधिकारी को दी जानी आवश्यक होगी एवं स्थानीय विक्री के लिये प्रभागीय वनाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी

51. श्रमिक कल्याण के नियम–

i-वनोपज के विदोहन में लगाये गये सभी श्रमिकों का विवरण सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

ii- उत्तराखण्ड वन विकास निगम को साधारण बीमारी एंव चोटों के इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा का प्रबन्ध रखना होगा।

संलग्नक : ५ - विक्रय सूची का स्थायी आदेश

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या प. २/६-५७ (लाट) दिनांक : लखनऊ अगस्त ०७, १९९९

स्थायी आदेश

प्रायः देखा जा रहा है कि वन निगम द्वारा किये गये विदोहन कार्य से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों के निस्तारण अथवा अन्य प्रतन के केसों में निर्णय लेने हेतु पुरानी छपान सूचियों की आवश्यकता पड़ती है। प्रभागों में इन छपान सूचियों का सही प्रकार रख-रखाव न होने के कारण केसों के निस्तारण में समस्या आ रही है। वन निगम द्वारा विदोहन कार्य अपने हाथ में लेने के बाद प्रभागों द्वारा विक्री सूची छपवाई नहीं जाती है अपितु केवल हस्तलिखित, टंकित अथवा साइक्लोस्टाइल विक्री सूचियां वन निगम को उपलब्ध की जाती है। ये सूचियां स्थाई अभिलेख का भाग नहीं बन पाती हैं।

२. वन निगम को लाट देने की अवधि मुख्य वन उपज की लाटों के लिए ३१ जुलाई होती है तथा गौड़ वन लाटों के लिए ३१ दिसम्बर निश्चित है परन्तु प्रायः देखने में आ रहा है कि अधिकतर प्रभागों में मुख्य उपज की लाटें ३१ जुलाई को नहीं दी जाती है तथा इसी प्रकार गौड़ वन उपज की लाटें भी ३१ दिसम्बर तक नहीं दी जाती हैं।

३. समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित तिथि को लाट देने के लिए वृक्षों का छपान निश्चित अवधि में किया जाना आवश्यक है। परन्तु छपान प्रभागों द्वारा समय से नहीं किया जाता है। यह स्थिति सोचनीय है तथा इसमें सुधार कर छपान समय से किये जाने की व्यवस्था प्रभागों द्वारा की जाये।

४. उक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रभागीय वनाधिकारियों/प्रभागीय निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि प्रभाग की मुख्य वन उपज की लाटों का छपान समय से पूर्ण करके छपान सूची की ५० प्रतियां तैयार कर उन्हें बाइण्ड करवाकर वर्ष के ३१ जुलाई को निश्चित रूप से वन निगम को हस्तगत कर दिये जाये। इसी प्रकार गौड़ वन उपज की लाटें ३१ दिसम्बर तक निश्चित रूप से बनाकर इसे बाइण्ड किया जाये। ५० छपी विक्री सूचियों में से १० प्रतियां वन निगम के संबंधित अधिकारियों को भेजी जायें तथा ४० प्रतियां प्रभाग में सुरक्षित रखी जाये।

५. विक्री सूचियों के प्रिन्ट कराने तथा जिल्द बन्द कराने का व्यय वन निगम द्वारा वहन किया जायेगा। छपान के लिए [illegible] की मांग करने के साथ ही विक्री सूचियों के प्रिन्ट करने के लिए भी धनराशि की मांग वन निगम से किया जाये

ह
(के.एन. सिंह)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या-प. २२५ (१)/दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
२. अपर प्रमुख वन संरक्षक/समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ.प्र./समस्त महाप्रबन्धक, उ.प्र. वन निगम।
३. समस्त वन संरक्षक/समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ.प्र. वन निगम।
४. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ.प्र. तथा प्रभागीय लॉगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक उ.प्र. वन निगम

ह०/-
(के.एन. सिंह)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या -प. २२५(१)/तिनांकित

प्रतिलिपि समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उ.प्र. को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(के.एन. सिंह)

प्रमुख वन संरक्षक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम २१/४७५ इन्दिरानगर, लखनऊ।

पत्रांक पी:- ४५५९/विक्रय सुची   दिनांक: अगस्त १३, १९९९

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम।
3. समस्त प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम।

ह०/-

(राजेन्द्र सैनी)

योजना एवं मूल्यांकन अधिकारी